पत्रिका के लिए सम्पर्क

मध्यप्रदेश

सौसर	- लीलाधर सोमकुवर	8878577473
	मोरेश्वर रंगारे	9617145254
पांढुर्णा	- सुभाष सहारे	9753899561
	राजेन्द्र सोमकुवर	9893378559
बोरगाव (रेमण्ड)	अशोक कडबे	9424938454
सिवनी	- पी.सी. टेम्भरे	9425426500
जबलपुर	- एल.एम.खोब्रागडे	9685572100
	डोमाराव खातरकर	9770026154
भोपाल	- राहुल रंगारे	9893690451
सिहोर	- रवीन्द्र बांगरे	9425842508
छिन्दवाड़ा	- एस.सी.भाऊरजार	9893880415
सारणी	- किरण तायडे	9407282113
गुना	- लक्ष्मणसिंह बौद्ध	9827309472
दतिया	- आशाराम बौद्ध	9893997750
मंडला	- अमरसिंग झारीया	9993881515

छत्तीसगढ़

चरोदा (भिलाई)	- मोरश्वर मेश्राम	9827871848
रायपुर	- सुनील गणविर	9753232894
राजनांदगाव	- रामप्रसाद नंदेश्वर	8103907945
बिलासपुर	- हरीश वाहाने	9424169477
चाम्पा	- संजीव सुखदेवे	9425575730
सारंगढ़	- नरेश बौद्ध	7828173910

उत्तरप्रदेश

लखनऊ	- निगमकुमार बौद्ध	9415750896
मोठ(झांसी)	- महेश गौतम	9452118038
आगरा	- जितेन्द्र प्रसाद	9927256608
झांसी	- अमरदीप	9695529570

महाराष्ट्र

नागपुर	- दादाराव वानखेडे	9423102300
जाफराबाद	- बुद्धप्रिय गायकवाड	9764538108
अमरावती	- बापू बेले	9403593773
मोर्शी	- देवेन्द्र खांडेकर	9370197740
पुणे	- प्रशांत घंघाळे	9765915686
मूल	- हंसराज कुंभारे	9763694293
मुम्बई	- राजु कदम	9224351635
वरोरा	- भाऊराव निरंजने	7875902211
चंद्रपुर	- रामभाऊ वाहाने	9421879386
ब्रह्मपुरी	- प्रा. एस.टी.मेश्राम	9766938647

त्रैमासिक
प्रज्ञा प्रकाश

अनुक्रमणिका

- संपादकीय 2
- क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्ति - बाबासाहेब आंबेडकर.....3
- बुद्ध और उनका धम्म

  गृहस्थों के जीवन नियम (विनय)..... 15
- वर्तमान घटनाक्रम..... 21
- न्यायपालिका 29
- समिति द्वारा सम्पन्न कार्यक्रम 32
- समिति के आगामी कार्यक्रम 32

त्रैमासिक
प्रज्ञा प्रकाश

नियमित पढ़िए और दूसरों को पढ़ने दें.
क्योंकि यह भी एक समाजकार्य है.

प्रज्ञा प्रकाश की वार्षिक सदस्यता - रू. 80

सदस्यता राशि इस पते पर भेजें
ह्रदेश सोमकुवर,
सम्पादक
'प्रज्ञा प्रकाश' 363, बाबा बुद्धाजी नगर,
कामठी रोड, नागपुर-440 017.

अगले अंक से 'प्रज्ञा प्रकाश' का
मुल्य रू. 20/- होगा।
तथा वार्षिक सदस्यता
शुल्क रू. 80/- होगा।

संपादकीय

आजकल 'विकास' के संबंध में बार-बार चर्चा हो रही है- मिडिया में, लोगों में और राजनितिबाजों में। मिडिया और राजनितिबाजों द्वारा किसी बात की चर्चा तब की जाती है जब उन्हें लाभ हो। लोगों ने भी वही चर्चा करनी चाहिये जिससे उन्हें लाभ हो। परन्तु वास्तव में यह होता नहीं है। मिडिया और राजनितिबाज लोगों को प्रभावित करते है और लोग उन्हीं की भाषा बोलने लग जाते है। औद्योगिक विकास को ही समग्र विकास के रूप में मिडिया और राजनिति-बाजों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मिडिया और राजनितिबाजों को पुंजीपतियों द्वारा धन दिया जाता है। इसके अलावा राजनितिबाज लोगों का भला नहीं कर सकते तो वह औद्योगिक विकास को ही लोगों का विकास बताकर लोगों को मुर्ख बनाते है और उनका ध्यान बांटते है। लोगों को मुर्ख बनाना और उनका ध्यान बांटना यह राजनितिबाजों की प्रस्थापित निति है। इसी निति के सहारे वह राजनिति में जीवित है और मिडिया भी उन्हें मदद करती है। इसीलिए भारत में राजनितिबाजों का और पुंजीपतियों का ही विकास हो रहा है। हमारे देश में बहुसंख्यक लोगों का विकास तो छोड़ीये, वह जन्म से मृत्यु तक स्वयं को तथा अपने परिवार को जीवित रखने के लिए ही संघर्ष करते रहते है।

लोगों के जीवनस्तर का बढ़ना ही विकास है। जिस क्षेत्र में या राष्ट्र में ऐसे बहुसंख्यक लोग रहते है वह क्षेत्र या राष्ट्र विकसीत कहलाता है। जिस देश में केवल अत्यल्प लोगों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति हुई हो और बहुसंख्यक लोग सामाजिक-आर्थिक समस्या से जुझ रहे हो वह प्रगत देश नहीं है। चंद धुर्त लोगों ने हमारे देश के बहुसंख्यक लोगों को समस्याग्रस्त बनाये रखा है ताकि यह अपनी समस्याओं में ही उलझे रहे। उनकी समस्याओं की बात की जाती है, नियम-कानुन भी बनाये जाते है ताकि इन चंद लोगों को उनका समर्थन प्राप्त हो। उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता और न ही उनके हित में बनाये गये नियम-कानुन पर अमल किया जाता है। इस तरह बहुसंख्यक लोगों को मुर्ख बनायें रखा गया है। इसीलिए सेवानिवृत्त न्या. मार्कण्डेय काटजू ने इस सत्य को बयान करते हुये कहा था कि हमारे देश में 90 प्रतिशत लोग मुर्ख है।

वर्तमान में इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण गुजरात का है। मिडिया तथा राजनितिबाजों द्वारा गुजरात के विकास के संबंध में बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जा रहा है। किसी झुठी बात को बार-बार प्रसारित करने से लोग उसे सही मानने लग जाते है। हुआ भी वही है। गुजरात में विकास हुआ इस बात को न केवल गुजरात के परन्तु देश के अन्य राज्यों के लोग भी मानने लगे है। बहुत कम लोगों ने वास्तविकता जानने की कोशीश की। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में दंगे करवाये और सैकड़ों निरपराध मुसलमानों की जाने ली गई इस बात को सभी लोग जानते है, भलेही न्यायालय उसे साबित नहीं कर पाये। तब से अबतक गुजरात के मुसलमान भयग्रस्त है। गुजरात में जातिद्वेष बड़े पैमाने पर है। वहां के दलित सरपंच और आम दलित भेदभाव के शिकार है। महिलायें सुरक्षित नहीं है। गुजरात में अन्याय, अत्याचार, बलात्कार की घटनायें होती रहती है परन्तु उन्हें बड़े पैमाने पर दबाया जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां का नागरिक स्वतंत्र नहीं है। सरकारी आतंक के कारण उसकी आवाज नहीं है। गुजरात में न तो समता है, न स्वतंत्रता है, न भाईचारा है और न न्याय है। जहां तक आर्थिक विकास की बात करे तो योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुछ अन्य राज्यों से वह पिछड़ा हुआ है।

गुजरात में आम आदमी का जीवन स्तर न तो सामाजिक और नहीं आर्थिक रूपसे बढ़ा है। तब विकास किसका हुआ है और कैसे हुआ है, यह अहम प्रश्न है। हां, गुजरात में आर्थिक विकास हुआ है, वह है, पुंजीपतियों का, जिन्होंने उस राज्य में उद्योग लगाये है। वह ऐसे हुआ है कि, जनता की परवाह किये बगैर उन्हें अनेक सहुलियतें (जमिन, पानी, बिजली, कर रिआयत) दी गई और आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। इन्हीं पुंजीपतियों का इस्तेमाल मोदी ने अपनी प्रसिद्धी को लिए किया। इन पुंजीपतियों ने मिडियों को धन देकर मोदी को विकास पुरूष के रूपमें प्रचारित करवाया। हो सकता है आगे एन डी ए द्वारा नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूपमें सामने किया जायेगा। ऐसा व्यक्ति देश में क्या कर सकता है इसे गुजरात के वास्तव को जानकर समझा जा सकता है। विकास किसका होगा इसे भी समझा जा सकता है।

बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय में ही हमारे देश का विकास निहीत है। इसलिए बहुजनों ने अपने हित के लिए और अपने सुख के लिए अब और मुर्ख बनना नहीं है। वैचारीक गुलामी को त्यागना है। झुठे प्रचार के शिकार नहीं होना है। सत्य और असत्य को पहचानना है। झुठ को परास्त करना है। बुद्ध और बाबासाहेब के विचारों को समझना है। उन्हीं के विचारों में बहुजनों का हीत है और बहुजनों का सुख है। उन्हीं के विचारों का अनुसरण करने से हमारा कल्याण होगा। जब हमारे देश के बहुजनों का कल्याण होगा तभी हमारा देश विकास के शिखर पर होगा।

क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्ति

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

गतांक से आगे...

V

तीसरे, बुद्ध ने जातिप्रथा की निंदा की। जातिप्रथा उस समय वर्तमान रूप में विद्यमान नहीं थी। अंतर्जातीय भोजन और अंतर्जातीय विवाह पर निषेध नहीं था। तब व्यवहार में लचीलापन था। आज की तरह कठोरता नहीं थी। किंतु असमतानता का सिद्धांत जो कि जातिप्रथा का आधार है, उस समय सुस्थापित हो गया था और इसी सिद्धांत के विरुद्ध बुद्ध ने एक निश्चयात्मक और कठोर संघर्ष छेड़ा। अन्य वर्गों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों के मिथ्याभिमान के वह कितने कट्टर विरोधी थे और उनके विरोध के आधार कितने विश्वासोत्पादक थे, उसका परिचय उनके बहुत से संवादों से प्राप्त होता है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अम्बट्ठ सुत्त के रूप में जाना जाता है।

अम्बट्ठ सुत्त

(एक युवा ब्राम्हण की अशिष्टता और एक वृद्ध की निष्ठा)

1. मैंने इस प्रकार सुना है। एक बार जब महाभाग कौशल देश की यात्रा के दौरान लगभग पांच सौ बांधवों सहित कौशल के इच्छानांगल नामक ब्राम्हण के गांव में पहुंचे और वह वहां के इच्छानांगल अरण्य में ठहरे।

उस समय पोष्करसाति नामक ब्राम्हण उक्कट्ठा में निवास करता था। वह स्थल चहल-पहल, हरियाली और वन्य भूमि तथा धान्य से परिपूर्ण था। कौशल-नरेश प्रसेनजित ने यह क्षेत्र उसे उपहार के रुप में प्रदान किया था, जिस पर उसे राजा के समान अधिकार प्राप्त था।

2. अब पोष्करसाति ब्राम्हण ने यह समाचार सुना; 'लोग कहते है कि शाक्य वंश के श्रमण गौतम शाक्य परिवार का त्याग करके धम्म (धार्मिक) जीवन अंगीकार करने के लिए बड़ी संख्या में अपने संघ के बांधवों के साथ इच्छानंगल में पहुच गए है और वहां अरण्य में ठहरे हुए है। अब जहां तक श्रद्धेय गौतम का संबंध है, उनकी इतनी ख्याति है कि विदेश में भी उनकी ऐसी चर्चा है : महाभाग एक अर्हत, पूर्ण प्रबुद्ध, विवेक और सौजन्य से परिपूर्ण, लौकिक ज्ञान से पुष्ट, मार्गदर्शन के इच्छुक नश्वरों के लिए अनुपम पथप्रदर्शक, देवों और मनुष्यों के लिए उपदेशक, वरदान प्राप्त है। वह स्वयं देवताओं, ब्राम्हणों और असम प्रदेश की पहाड़ियों पर मर भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर के लोक और उसके नीचे संन्यासियों तथा ब्राम्हणों, राजाओं और प्रजाजन वाले लोक सहित संपूर्ण सृष्टि को इस प्रकार जानने के बाद, वह अपने ज्ञान की जानकारी दूसरों को कराते है। सत्य, जो अपने मुल में सुंदर है, प्रगति में सुंदर है, संपूर्णता में सुंदर है, उसी की उद्घोषणा वह भावना और शब्द में करते है, वह उच्चतर जीवन की पूर्णता और पवित्रता का भरपूर ज्ञान कराते है।'

और उस प्रकार के अर्हत के दर्शनार्थ जाना अच्छा है।

3. और उस समय अम्बट्ठ नामक युवा ब्राम्हण पोष्करसाति ब्राम्हण का एक शिष्य था। वह जाप करता था (पवित्र शब्दों का), उसे रहस्यवादी पद्य कंठस्थ थे, वह तीनों वेदो का ज्ञाता था, उनके अनुक्रम, उनकी क्रियापद्धती, ध्वनिशास्त्र और भाष्य (चतुर्थ रुप में) तथा पंचमशास्त्र के रुप में दंतकथाओं का अच्छा ज्ञान था। वह मुहावरों और व्याकरण में निष्णात था, वह लोकायत, कूट तार्किकता और एक महापुरुष के शरीर पर विद्यमान लक्षणों से संबंधीत शास्त्र से सुपरिचित था, त्रिसुत्री वैदिक ज्ञान पद्धती मे उसे इतना पारंगत माना जाता था कि उसका गुरु भी उसके संबंध में यह कहता था, 'जो कुछ मैं जानता हूं वह तुम जानते हो, और जो तुम जानते हो वह मैं जानता हूं।'

4. और पोष्करसाति ने अम्बट्ठ को यह समाचार सुनाया और कहा : 'प्रिय अम्बट्ठ, श्रमण गौतम के पास जाओं और यह पता लगाओं कि विदेश में उनकी ख्याति का जो डंका बज रहा है, वह वास्तविकता के अनुरुप है या नही, श्रमण गौतम वैसे ही है, जैसा कि उनके विषय में कहा जाता है, अथवा नहीं?'

5. 'लेकिन, श्रीमन, मैं कैसे जान पाऊंगा कि वह वैसे ही है, या नही?'

'अम्बट्ठ, हमारे रहस्यवादी पद्यों में एक महापुरुष के बत्तीस शारिरीक लक्षण बताए गए है। अगर वे लक्षण किसी मनुष्य में हों, तो दो में से एक वह अवश्य बनेगा, इसके अतिरिक्त कुछ नही बनेगा। अगर वह गृहस्थ है, तो वह एकछत्र सम्राट, एक धर्मपरायण राजा बनेगा, चार महासागरों के तटों तक उसका शासन होगा, वह एक विजेता होगा और अपनी प्रजा का संरक्षक तथा सात विधीयों का स्वामी होगा और ये सात विधीयां है : चक्र, हाथी, घोड़ा, रत्न, स्त्री, कोषाध्यक्ष और मंत्री। और उसके एक हजार से अधिक वीर और शक्तिशाली पुत्र होते है, जो शत्रु की सेनाओं के छक्के छुड़ा देते है। और वह समुद्र-पर्यंत इस विशाल पृथ्वी पर तलवार के बल के बिना धर्मपरायणता के साथ शासन करता हुआ पूर्णप्रभुता से युक्त निवास करता है। लेकिन अगर वह गृहस्थ का त्याग करके गृहविहीन स्थिती में प्रवेश करता है, तो वह बुद्ध बन जाएगा, जो विश्व की आंखो से परदा हटा देता है। अम्बट्ठ, अब तुमने मुझसे रहस्यमय शब्द प्राप्त किए है।'

6. 'बहुत अच्छा, श्रीमन', अम्बट्ठ ने उत्तर में कहा, और अपने स्थान से उठकर पोष्करसाति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए युवा ब्राम्हणों के दल के साथ वह अश्वचालित रथ पर इच्छानांगलकला के अरण्य की ओर चल पड़ा। और वह रथ वहां तक गया, जहां तक वाहनों के लिए मार्ग उपयुक्त था। उसके बाद वह रथ से उतरकर पैदल ही उपवन में गया।

7. उस समय बहुत से बांधव खुली हवा में इधर-उधर टहल रहे थे। अम्बट्ठ उनके समीप गया और कहा, ' इस समय श्रद्धेय गौतम कहां ठहरे हुए है? हम यहां उनसे मिलने आए है।'

8. तब बांधवो ने सोचा : यह युवा ब्राम्हण अम्बट्ठ विशिष्ट परिवार का है और विख्यात ब्राम्हण पोष्करसाति का शिष्य है। महाभाग ऐसे व्यक्ति के साथ वार्तालाप करने में कठिनाई महसूस नही करेंगे। और उन्होंने अम्बट्ठ से कहा, 'गौतम वहां ठहरे हुए है, जहां द्वार बंद है, चुपचाप ऊपर जाओं और धीरे से ड्योढ़ी में प्रवेश करो और खांस कर दस्तक दो। महाभाग तुम्हारे लिए द्वार खोल देंगे।'

9. तब अम्बट्ठ ने ऐसा ही किया। और महाभाग ने द्वार खोल दिया, अम्बट्ठ भीतर चला गया और अन्य युवा ब्राम्हण भी अंदर चले गए और उन्होंने महाभाग से नम्रता तथा शालीनता से पूर्ण शुभकामनाओं का आदान-प्रदान किया तथा अपना स्थान ग्रहण किया। लेकिन अम्बट्ठ टहलता रहा और उसने अचानक बड़ी बेचैनी से खड़े-खड़े बेठे हुए महाभाग से कुछ विनीत स्वर में कहा।

10. और महाभाग ने उससे कहा : 'अम्बट्ठ, क्या वृद्ध गुरुओं और अपने गुरुओं के वयोवृद्ध गुरुजनों से बात करने का तुम्हारा यही व्यवहार है, जैसे कि तुम अब इधर-उधर टहलते हुए अथवा खड़े-खड़े मुझसे बात कर रहे हो, जब कि मैं बैठा हुआ हूं।'

11. 'अवश्य नही, गौतम। अगर ब्राम्हण स्वयं चल रहा हो तो उससे चलते हुए बोलना, अगर ब्राम्हण खड़ा है तो खड़े-खड़े, अगर उसने आसन ग्रहण किया है तो बैठकर, अथवा अगर ब्राम्हण सहारे से लेटा है तो सहारा लेकर उससे बोलना उचित है। लेकिन मुंडित सिर वालों, छद्मवेशी साधुओं, कोल भृत्यों और हमारे कुल की सेवा में रत अधम जातियों के साथ मैं उसी प्रकार बोलुंगा जैसा कि अब मैं आपसे बोल रहा हूं।

'लेकिन, अम्बट्ठ, जब तुम यहां आए हो, तो तुम्हें किसी चीज की जरुरत रही होगी। अच्छा तो यही है कि तुम यहां अपने आने के उद्देश्य पर विचार करो। यह युवा ब्राम्हण अम्बट्ठ अशिष्ट है, यद्यपि वह अपनी संस्कृति पर गर्व करता है। क्या ऐसा व्यवहार प्रशिक्षण के अभाव के सिवाय किसी अन्य कारण से हो सकता है?'

12. तब अम्बट्ठ अशिष्ट कहे जाने पर महाभाग से अप्रसन्न और नाराज हो गया और यह विचार करते हुए कि महाभाग उससे कुपित है, उनसे व्यंग और उपहास करते हुए अवज्ञापूर्ण ढंग से महाभाग से कहा : 'गौतम, आपका यह शाक्य कुल असुसंस्कृत है, आपका शाक्य वंश अशिष्ट, चिड़चिड़ा और उग्र है। भृत्य केवल भृत्य है, वे न तो ब्राम्हणों के प्रति श्रद्धा रखते है, न उन्हें महत्व देते है, न उन्हें उपहार देते है, और न उनका सम्मान करते है। गौतम, ऐसा व्यवहार न तो उपयुक्त है, न ही भद्रोचित है।'

इस प्रकार युवा ब्राम्हण अम्बट्ठ ने पहली बार शाक्यों पर भृत्य होने का लांछन लगाया।

13. लेकिन, अम्बट्ठ, शाक्यों ने तुम्हारे प्रति कौनसा दुर्व्यवहार किया है?

'एक बार, गौतम, मुझे पोष्करसाति के किसी कार्य से कपिलवस्तु जाना पड़ा और मैं शाक्यों के सभा भवन में चला गया। उस समय बहुत से वृद्ध और युवां शाक्य मंडप में भव्य आसनों पर बैठे हुए आनंद मना रहे थे और साथ-साथ

परिहास कर रहे थे, अपनी अंगुलियों से एक-दूसरे को धकिया रहे थे, और सच पुछो तो मेरे विचार में उनके परिहास का विषय स्वयं में था, और किसी ने बैठने तक को नहीं कहा। और, गौतम, न तो यह उपयुक्त है, और न ही भद्रोचित है, क्योंकि शाक्य भृत्य केवल भृत्य है, जो न तो ब्राम्हणों के प्रति श्रद्धा रखते है, न उन्हें महत्व देते है, न उन्हें उपहार देते है, और न उनका सम्मान करते है।

इस प्रकार युवा ब्राम्हण अम्बट्ठ ने दूसरी बार शाक्यों पर भृत्य होने का लांछन लगाया।

14. 'इतनी छोटी सी बात पर बुरा मान गए, अम्बट्ठ। नन्हीं सी हठी चिड़िया अपने घोंसले में जो चाहें, बोल सकती है। और शाक्य तो कपिलवस्तु में अपने ही घर में थे। इतनी छोटी सी बात पर बुरा मान जाना तुम्हें शोभा नही देता।'

15. 'गौतम, ये चार श्रेणियां है- कुलीन जन, ब्राह्मण व्यापारी और श्रमिक जन। और इन चारों में से तीन, अर्थात कुलीन जन, व्यापारी और श्रमिक जन, वास्तव में ब्राम्हण के सेवक है। इसलिए गौतम, न तो यह उपयुक्त है, और न भद्रोचित ही है कि शाक्य जो भृत्य और केवल भृत्य है, वे न तो ब्राम्हणों के प्रति श्रद्धा रखते है, न उन्हें महत्व देते है, न उन्हें उपहार देते है, और न उनका सम्मान ही करते है।' इस प्रकार युवा ब्राम्हण अम्बट्ठ ने तीसरी बार शाक्यों पर भृत्य होने का लांछन लगाया।

16. तब महाभाग ने इस प्रकार सोचाः यह अम्बट्ठ शाक्यों पर भृत्य कुलीन होने का आरोप लगाकर उन्हें नीचा दिखाने पर तुला हुआ है। मैं उससे अपनी वंश-परंपरा के बारे में भी पूछ सकता हूं।' और उन्होंने उससे कहाः

अम्बट्ठ, तुम्हारा संबंध किस परिवार से है? हां, अगर कोई पितृ और मातृ पक्ष की ओर से तुम्हारे पुराने नाम और तुम्हारी वंश-परंपरा का अध्ययन करे, तो यह पता चलेगा कि किसी समय में शाक्य तुम्हारे स्वामी होते थे और तुम उनकी किसी एक दासी की संतान हो। लेकिन शाक्य मूलतः स्वयं को ओक्काक राजाओं के वंशधर बताते है।

अम्बट्ठ, बहुत समय पहले राजा ओक्काक ने अपनी चहेती रानी के पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा से अपने बड़े बच्चों- ओक्कमुख, करान्दा, हत्थीनिका और सिनीपूरा को देश से निष्कासित कर दिया। इस प्रकार निष्कासित होने के बाद उन्होंने हिमालय की ढलान पर, झील के किनारे आश्रय लिया, जहां तक विशाल कोल (शाल) का वृक्ष विद्यमान था। और इस आशंका से कि कही उनके वंश की पवित्रता को आंच न आए, उन्होंने अपनी बहनों से अंतर्विवाह कर लिया।

अब राजा ओक्काक ने अपने दरबार में मंत्रियों से पूछा, 'श्रीमान, अब बच्चे कहां है?'

'राजन, हिमालय की ढलान पर, झील के किनारे एक स्थान है, जहां एक विशाल कोल (शाल) का वृक्ष विद्यमान है। वही वे रहते है। और कहीं उनके वंश की पवित्रता पर आंच न आए, इसलिए उन्होंने अपनी ही बहनों (शाक्य वंशीय) से विवाह कर लिया है।

तब राजा ओक्काक ने प्रशंसा से अभिभूत होकर कहा : 'वे युवक कोल (शाक्य) के हृदय है, वे अपने वंश (परम शाक्य) को कायम रखे हुए है। अम्बट्ठ यही कारण है कि उन्हें शाक्यों के नाम से जाना जाता है। ओक्काक की दिशा नाम की एक दासी थी। उसने एक काले बच्चे को जन्म दिया। और ज्यों ही वह उत्पन्न हुआ, उस नन्हें से काले बच्चे ने कहा, 'मां, मुझे धोओ। मां, मुझे नहलाओं, मां, मुझे इस कलुष से मुक्त करो। तभी मैं आपके काम आ सकूंगा। 'अम्बट्ठ, अब जिस प्रकार लोग असुरों को असुर कहते है, उसी प्रकार उस समय लोग काले (कान्हें) को असुर कहते थे। और उन्होंने कहा : 'यह पैदा होते ही बोल पड़ा यह जो काला (कान्हा) बच्चा पैदा हुआ है, यह एक असुर पैदा हुआ है।' और अम्बट्ठ कान्हायनों का मूल यही है। वह कान्हायनों का पूर्वज था। और मातृ पक्ष की ओर से तुम्हारे पुराने नाम और तुम्हारी वंश-परंपरा का अध्ययन करें, तो यह पता चलेगा कि किसी समय शाक्य तुम्हारे स्वामी होते थे और तुम उनकी किसी एक दासी की संतान हो।

17. और जब वह इस प्रकार बोल चुके तो युवा ब्राम्हणों ने महाभाग से कहा : 'श्रद्धेय गौतम, अम्बट्ठ पर दासी कुल से उत्पन्न होने का कलंक लगाकर उसे और नीचा न दिखाएं वह अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ है और अच्छे परिवार का है। वह पवित्र देव स्तुतियों से सुपरिचित एक योग्य पाठक और विद्वान पुरुष है और वह इन मामलों में श्रद्धेय गौतम को उत्तर देने में समर्थ है।'

18. तब महाभाग ने उनसे कहा : 'बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर तुम अन्यथा समझते हो, तो हमारी इस वार्ता को आगे बढ़ाने का काम तुम्हारा होगा। लेकिन जब तुम इस प्रकार सोचते हो, तो स्वयं अम्बट्ठ को बोलने दिया जाए।'

19. 'हम ऐसा नही सोचते। और हम मौन ही रहेंगे। अम्बट्ठ इन मामलों में श्रद्धेय गौतम को उत्तर देने में समर्थ है।'

20. तब महाभाग ने अम्बट्ठ ब्राम्हण से कहा : 'तब आगे यह प्रश्न उठता है, अम्बट्ठ, जो बहुत ही सुसंगत है, और अनिच्छापूर्वक ही सही, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना होगा। अगर तुम स्पष्ट उत्तर नही दोगे, अथवा दूसरे प्रसंग पर चले जाओगे, अथवा मौन रहोगे, अथवा विचलित हो जाओगे, तो तुम्हारा सिर इसी स्थल पर खंड-खंड हो जाएगा। जब वयोवृद्ध और अनुभवी ब्राम्हण तुम्हारे गुरुजन अथवा उनके गुरुजन इस बारे में आपस में बात कर रहे थे कि कान्हायनों की मूल उत्पत्ति कहां से हुई और उनका वह पूर्वज कौन था जिसका कि वे अपने आपको वंशज बताते है, तुमने इस बारे में क्या सुना है?' और जब वह इस प्रकार बोल चुके, तो अम्बट्ठ मौन रहा और महाभाग ने फिर से वही प्रश्न पुछा। और फिर भी अम्बट्ठ मौन रहा। तब महाभाग ने उससे कहा : 'अम्बट्ठ, बेहतर यही होगा कि तुम अब इसका उत्तर दे दो। यह तुम्हारे चुप रहने का समय नही है। क्योंकि कोई भी यदि तथागत (जिसने सत्य पर विजय प्राप्त कर ली हो) द्वारा तीसरी बार पूछे जाने पर भी एक सुसंगत प्रश्न का उत्तर नही देता, तो उसका सिर वहीं टुकड़ों में खंडित हो जाता है।

21. और उस समय वज्र को धारण करने वाला प्रेत, अग्नि से दहकते हुए, चौंधियाने वाले और प्रकाशमय शक्तिशाली लोह पिंड के साथ अम्बट्ठ के ऊपर आसमान में, इस इरादे से खड़ा हो गया कि अगर उसने उत्तर नही दिया, तो उसका सिर वही टुकडों में खंडित कर दिया जाएगा। और महाभाग ने वज्र धारण किए हुए प्रेत को देखा, और अम्बट्ठ ब्राम्हण को भी वह दिखाई दिया और इस स्थिती से अवगत होने पर आतंकित, स्तंभित और व्यग्र अम्बट्ठ महाभाग से सुरक्षा, संरक्षण और सहायता की याचना करता हुआ भयभीत होकर उनके पार्श्व में सिमट कर बैठ गया और बोला, 'महाभाग, आपने क्या कहा था? एक बार फिर कहिए।'

'तुम क्या सोचते हो, अम्बट्ठ? जब वयोवृद्ध और अनुभवी ब्राम्हण, तुम्हारे गुरुजन अथवा उनके गुरुजन इस संबंध में आपस में बात कर रहे थे। कि कान्हायनों की मूल उत्पत्ति कहां से हुई और उनका वह पूर्वज कौन था जिसका कि वे अपने आपको वंशज बताते है, तुमने इस बारे में क्या सुना है?'

'ठिक ऐसा ही, गौतम, मैंने सुना है जैसा कि श्रद्धेय गौतम ने कहा है। कान्हायनों की मूल उत्पत्ति वही है, और वही उनका पूर्वज है, जिसका कि वे अपने-आपको वंशज बताते है।'

22. और जब वह इस प्रकार बोल चुके, तो युवा ब्राम्हणों में क्षोभ, अशांति और हलचल मच गई और उन्होंने कहा : 'उनका कहना है कि अम्बट्ठ ब्राम्हण जन्म से नीच है, वे कहते है कि उसके परिवार की पृष्ठभूमि अच्छी नही है। वे कहते है कि वह दासी कुल में उत्पन्न हुआ है और शाक्य उसके स्वामी थे। हम यह नही मानते कि श्रमण गौतम जिनके शब्दों में सत्यता है, वह विश्वासयोग्य व्यक्ति नही है।'

23. और महाभाग ने सोचा : 'ये ब्राम्हण एक दासी की संतान के रुप में अम्बट्ठ का बहुत अपमान कर रहे है। मुझे उनके अपमान से इसे मुक्त करना चाहिए। और उन्होंने कहा :

'अम्बट्ठ ब्राम्हण को उसके वंश के आधार पर इतनी निर्दयता से अपमानित मत किजीए। वह कान्हा एक शक्तिशाली सिद्ध पुरुष बन गया था। वह दक्षिण में गया। वहां उसने रहस्यवादी पद्य सीखे और राजा ओक्काक के पास वापस आकर उसने विवाह में उसकी बेटी मद्दरुपी का हाथ मांगा। उत्तर में राजा ने उससे कहा : ' यह व्यक्ति वास्तव में कौन है जो मेरी दासी का पुत्र होने पर भी विवाह के लिए मेरी पुत्री का हाथ मांग रहा है। और क्षुब्ध तथा अप्रसन्न होकर उसने अपने धनुष में बाण चढा दिया। लेकिन न तो वह तीर चला सका, और न वह प्रत्यंचा से पुनः उसे हटा ही सका। तब मंत्री तथा दरबारी सिद्ध पुरुष कान्हा के पास गए और कहा : 'श्रीमन, राजा की रक्षा किजीए, राजा की रक्षा किजीए।'

'राजा को कोई क्षति नही पहुचेंगी। किंतु उसने अगर बाण नीचे की ओर छोड़ा तो उसके राज्य पर्यंत धरती सुख जाएगी'

'श्रीमन, राजा की रक्षा किजीए और देश की भी।

'राजा को कोई क्षति नही पहुंचेगी, न उसकी भूमि को। किंतु उसने अगर ऊपर को बाण छोड़ा तो देवता सात वर्षों तक उसके राज्य-पर्यंत वर्षा नही करेंगे।

'श्रीमन, राजा की रक्षा किजीए ओर देश की भी, और देवता को वृष्टि करने दिजीए।'

'राजा को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी और न भूमि को ही, और देवता वृष्टि करेंगे। लेकिन राजा अपने सबसे बड़े पुत्र पर बाण चलाए। राजकुमार को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, उसका बाल भी बांका नहीं होगा।'

तब हे ब्राम्हणों, मंत्रियो ने ओक्काक को यह बताया और कहा : 'राजन, अपने सबसे बड़े पुत्र पर बाण छोड़ें उसे कोई हानि अथवा भय नही होगा। और राजा ने ऐसा ही किया, और कोई क्षय नही हुआ। किंतु राजा ने जो पाठ पढ़ा था, उससे आतंकित होकर उसने उस पुरुष को पत्नी के रूप में अपनी पुत्री मददरूपी दे दी। हे ब्राह्मणों आपके दासी कुल के मामले में अम्बट्ठ का इतना और अपमान नही करना चाहिए। वह कान्हा शक्तिशाली सिद्ध पुरुष था।

24. तब महाभाग ने अम्बट्ठ को कहा : 'अम्बट्ठ, इस बारे में तुम क्या सोचते हो? अगर एक युवा क्षत्रिय का संबंध किसी ब्राम्हण कन्या से हो जाता है और उनके सहवास से एक पुत्र का जन्म होता है। क्या ऐसा पुत्र ब्राम्हणों से आसन और जल (आदर के प्रतीक के रुप में) प्राप्त कर सकेगा?

'हां, गौतम, वह करेगा।'

'लेकिन क्या ब्राम्हण उसे पितरों के निमित्त आयोजित भोज, अथवा दूध में उबाले गए खाद्य, अथवा देवताओं को दी जाने वाली भेंट, अथवा उपहार के रुप में भेजे जाने वाले भोजन में सम्मिलित होने की अनुमति देंगे?'

'हां, गौतम, वे अनुमति देंगे।'

'लेकिन ब्राम्हण उसे अपने पद्य सिखाएंगे अथवा नही?'

'हां, गौतम, वे सिखाएंगे।'

'किंतु उनकी स्त्रियों से उसे अलग रखा जाएगा अथवा नही।'

'उसे अलग नही रखा जाएगा।'

'किंतु क्या क्षत्रिय उसे एक क्षत्रिय के रुप में संस्कारित होने की अनुमति देंगे?

'निश्चित रुप से नही, गौतम।'

'क्योंकि मातृ पक्ष की ओर से उनका वंश शुद्ध नही है।'

25. 'अब तुम इस बारे में क्या सोचते हो, अम्बट्ठ? अगर एक युवा ब्राम्हण का संबंध किसी क्षत्रिय कन्या से हो जाता है और उनके सहवास से एक पुत्र का जन्म होता है' क्या ऐसा पुत्र ब्राम्हणों से आसन और जल
(आदर के प्रतिक के रुप में) प्राप्त कर सकेगा?'

'हां, गौतम, वह करेगा।'

'किंतु क्या ब्राम्हण उसे पितरों के निमित्त आयोजित भोज, अथवा दूध में उबाले गए खाद्य, अथवा देवताओं को दी जाने वाली भेंट, अथवा उपहार के रूप में भेजे जाने वाले भोजन में सम्मिलित होने की अनुमति देगे?

'हां, गौतम, अनुमति देंगे।'

'किन्तु ब्राम्हण उसे अपने पद्य सिखाएंगे अथवा नही?

'हां, गौतम, वे सिखाएंगे।'

'किन्तु क्या क्षत्रिय उसे एक क्षत्रिय के रुप में संस्कारित होने की अनुमती देंगे।

'निश्चित रुप से नही, गौतम।'

'उसकी अनुमति क्यों नही?'

'क्योंकि पितृ पक्ष की ओर से उसका वंश शुद्ध नही है।'

26. 'तब तो, अम्बट्ठ, चाहे स्त्रियों की स्त्रियों से और पुरुषों की पुरुषो से तुलना करें, क्षत्रिय श्रेष्ठ है और ब्राम्हण हेय है। और, अम्बट्ठ इस बारे में तुम क्या सोचते हो? अगर ब्राम्हण किसी अपराध के कारण किसी ब्राम्हण को न्याय के लाभ से वंचित कर दे, उसका मुंडन करके उसके सिर पर राख मलकर उसे भूमि और बस्ती से निष्कासित कर दे, क्या उस ब्राम्हण को ब्राम्हणों के मध्य आसन अथवा जल प्रदान किया जाएगा?'

'कदापि नही, गौतम।'

'अथवा ब्राम्हण उसे पितरों के निमित्त आयोजित भोज, अथवा दूध में उबाले गए खाद्य, अथवा देवताओं को दी जाने वाली भेंट, अथवा उपहार के रुप में भेजे जाने वाले भोजन में सम्मिलित होने की अनुमति देंगे?

'कदापि नही, गौतम।'

'अथवा ब्राम्हण उसे अपने पद्य सिखाएंगे या नही।'

'कदापि नही, गौतम।'

' और उसे उनकी स्त्रियों से अलग रखा जाएगा या नही?'

'उसे अलग रखा जाएगा।'

27. 'किन्तु इस बारे में तुम क्या सोचते हो, अम्बट्ठ? यदि क्षत्रिय उसी प्रकार किसी क्षत्रिय को न्याय के लाभ से वंचित करके भूमि अथवा बस्ती से निष्कासित कर देते है, तो क्या ब्राम्हणों के मध्य से उसे आसन और जल प्रदान किया जाएगा?

'हां, उसे प्रदान किया जाएगा, गौतम।'

'और क्या उसे पितरों के निमित्त आयोजित भोज,

अथवा दूध से उबाले गए खाद्य अथवा देवताओं को दी जाने वाली भेंट अथवा उपहार के रुप में भेजे जाने वाले भोजन में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी?'

'हां, गौतम, अनुमति दी जाएगी।'

'और क्या ब्राम्हण उसे अपने पद्य सिखाएंगे।'

'वे सिखाएंगे, गौतम।'

'और उसे उनकी स्त्रियों से अलग रखा जाएगा अथवा नही?

'उसे अलग नही रखा जाएगा, गौतम।'

'लेकिन, अम्बट्ठ, मुंडित सिर, राख की टोकरी से सने, भूमि तथा आबादी वाले क्षेत्रों से निष्कासित क्षत्रिय का घोर पतन हो जाता है, लेकिन घोर पतन के गर्त में गिर जाने के बावजूद यह धारणा सही है कि क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं और ब्राम्हण हेय है।'

28. 'तथापि एक ब्रह्म देवता सुनाम कुमार ने यह श्लोक कहा है' :

'वंश-परंपरा के प्रति आस्थावान इस जन समूह में क्षत्रिय सर्वोत्तम है, किंतु जो विवेक और सत्यता में परिपूर्ण है, वह देवों और मनुष्यों में सर्वोत्तम है।'

'अब, अम्बट्ठ यह श्लोक ब्रम्ह सुनामकुमार द्वारा सही तौर से गाया और कहा गया था, जो अर्थपूर्ण है, रिक्त नही है। मै भी इसका अनुमोदन करता हूं।'

'मैं भी', अम्बट्ठ कहता है।

'वंश-परंपरा के प्रति आस्थावान इस जन समूह में क्षत्रिय सर्वोत्तम है। लेकिन जो विवेक और न्यायनिष्ठा में परिपूर्ण है, वह देवों और मनुष्यों में सर्वोत्तम है।'

(पाठ के लिए प्रथम भाग यहां समाप्त होता है)

1. 'लेकिन, गौतम, उस पद्य में व्यक्त सत्यता क्या है? और विवेक क्या है?

'विवेक और सत्यता की सर्वोच्च पूर्णता में, अम्बट्ठ अथवा वंश-परंपरा अथवा इस प्रकार के अभिमान का प्रश्न ही नही उठता, जिसके आधार पर यह कहा जाता है- आपको उतना ही योग्य माना जाता है, जितना मुझे, अथवा आपको उतना योग्य नही माना जाता, जितना मुझे। जब कभी विवाह की बात चलती है, अथवा विवाह में देने की बात होती है, तो इस प्रकार की बातों का उल्लेख किया जाता है। अम्बट्ठ, जो भी जन्म अथवा वंश-परंपरा, अथवा सामाजिक स्थिती के अभिमान, अथवा विवाह द्वारा संबंध की दासता से ग्रस्त है, वे सर्वोत्तम विवेक और सत्यता से दूर है। इस प्रकार की दासता से मुक्त होने पर ही मनुष्य विवेक और आचरण की सर्वोच्च पूर्णता अपने लिए प्राप्त कर सकता है।'

2. 'लेकिन, गौतम, वह आचरण और वह विवेक क्या है?'

(यहां शील के अधीन इसका उल्लेख है)

बुद्ध के आविर्भाव, उनके उपदेश, श्रोता के मतांतरण और उनके द्वारा संसार के परित्याग के संबंध में परिचयात्मक अनुच्छेद (श्रमणफल के पाठ्य का 40.42 पृष्ठ 62,63) उसके पश्चात आते है :

1. उपरोक्त शील पृष्ठ 4-12 (8.27) में केवल आंशिक भिन्नता है। प्रत्येक खंड के अंत में दुहराए गए परिच्छेद में यह आता है : 'यह उसमें नैतिकता के रुप में जानी जाती है।'

उसके पश्चात करुणा के अधीन

2. विश्वास के संबंध में अनुच्छेद, पाठ्य 63 के पृष्ठ 69। इसके बाद अंश इस प्रकार है : 'यह उसमें आचरण के रुप में माना जाता है।'

3. इंद्रियो का द्वार सुरक्षित है, के संबंध में अनुच्छेद, पाठ्य 64 के पृष्ठ 70।

4. सावधान और आत्मलीन के संबंध में अनुच्छेद, पाठ्य 65 के पृष्ठ 70।

5. संतोष के संबंध में अनुच्छेद, पाठ्य 66 के पृष्ठ 71।

6. एकाकीपन के संबंध में अनुच्छेद, पाठ्य 67 के पृष्ठ 71।

7. 'पांच बाधाएं' के संबंध में अनुच्छेद, पाठ्य 68-74 के पृष्ठ 71-72

8. चार गहन ध्यान के संबंध में अनुच्छेद, पाठ्य 73-76 के पृष्ठ 75-82 । प्रत्येक अंत में अंश 'पिछले से उच्चतम और अच्छे को' यहां वास्तव में संन्यासी के जीवन के उच्चतर फल के रुप में न पढ़कर उच्चतर आचरण के रुप में पढ़ा जाना चाहिए।

विवेक (विग्ग) के अधिन

9. ज्ञान से उत्पन्न होने वाली अंतर्दृष्टि (नानादासनम) के संबंध में अनुच्छेद, पाठ्य 83-84 के पृष्ठ 76। इसके बाद अंश है : ' यह उसमें विवेक के रुप में जाना जाता है और वह

अंतिम से उच्चतर और अधिक मधुर है।'

10. बौद्धिक छवि के संबंध में अनुच्छेद, पाठ्य 85-86 के पृष्ठ 77।

11. रहस्यमय देन (इद्धी) के संबंध में अनुच्छेद, पाठ्य 87-88 के पृष्ठ 79।

12. दिव्य कर्ण (दिब्बासोता) के संबंध में अनुच्छेद, पाठ्य 89-90 के पृष्ठ 79।

13. दूसरों के हृदय का ज्ञान (कटो-परियानानम) के संबंध में अनुच्छेद, पाठ्य 91-92 के पृष्ठ 79।

14. पिछले जन्म का स्मरण (पुब्बे निवास-अनुस्साती-नामा) के संबंध में अनुच्छेद, पाठ्य 93-94 के पृष्ठ 81।

15. दिव्य चक्षु, (दिब्बा चक्खु) के संबंध में अनुच्छेद, पाठ्य 95-96 के पृष्ठ 82।

16. भयंकर बाढका नाश, (आसावानम खयनानम) के संबंध में अनुच्छेद, पाठ्य 97-98 के पृष्ठ 83।

'अम्बट्ठ, इस प्रकार के मनुष्य को विवेक में, आचरण में और विवेक तथा आचरण, दोनों में परिपूर्ण कहा जाता है। और विवेक तथा आचरण में कोई अन्य पूर्णता इससे अधिक उच्चतर और मधुर नही है।

3. 'अब, अम्बट्ठ, विवेक और सौजन्य की इस सर्वोच्च पूर्णता में चार क्षरण है और ये चार क्या है? अम्बट्ठ, यदि कोई संन्यासी अथवा ब्राम्हण विवेक और आचरण की सर्वोच्च पुर्णता, पूर्ण रुप से प्राप्त किए बिना, अपने कंधे पर बहंगी (ईधन, पानी का घड़ा, सुइयां और भिक्षुक साधू का शेष साज-सामान ले जाने के लिए) उठाए हुए गहन वन में प्रवेश करता है, और स्वयं यह शपथ लेता है : एतद् पश्चात मैं उनमें से एक बन जाऊंगा, जो केवल स्वयं गिरे हुए फलों पर निर्वाह करते है तो निश्चित ही वह उसका केवल सेवक बनने की योग्यता रखता है, जिसने विवेक और सत्यता को प्राप्त कर लिया हो।

'और पुनः, अम्बट्ठ, यदि कोई संन्यासी अथवा ब्राम्हण विवेक और आचरण की सर्वोच्च पूर्णता, पूर्ण रुप से प्राप्त किए बिना, और केवल स्वयं गिर हुए फलों पर निर्वाह न कर पाने की स्थिती में, अपने साथ कुदाली और टोकरी लेकर गहन वन में प्रवेश करता है, और स्वयं यह शपथ लेता है : एतद् पश्चात मैं उनमें से एक बन जाऊंगा, जो केवल कंद और फलों के मूलों पर निर्वाह करते है, तो निश्चित ही, वह उसका केवल सेवक बनने की योग्यता रखता है, जिसने विवेक और सत्य को प्राप्त कर लिया हो।

'और पुनः, अम्बट्ठ, यदि कोई संन्यासी अथवा ब्राम्हण विवेक और आचरण की सर्वोच्च पुर्णता, पूर्ण रुप से प्राप्त किए बिना, और केवल स्वयं गिरे हुए फलों और कंद-मूल तथा फलों पर निर्वाह न कर पाने की स्थिती में, किसी गांव अथवा नगर की सीमाओं के समीप स्वयं अग्नि-मंदिर का निर्माण करता है और अग्नि-देव की उपासना करते हुए वहां निवास करता है, तो निश्चित ही वह उसका केवल सेवक बनने की योग्यता रखता है, जिसने विवेक और सत्यता को प्राप्त कर लिया हो।

'और पुनः अम्बट्ठ, यदि कोई संन्यासी अथवा ब्राम्हण विवेक और आचरण की सर्वोच्च पूर्णता पूर्ण रुप से प्राप्त किए बिना, और केवल स्वयं गिरे हुए फलों और कंद-मूल तथा फलो पर निर्वाह न कर पाने, और अग्नि-देव की उपासना न कर पाने की स्थिती में, किसी चौराहे पर, जहां चार उच्च मार्ग मिलते है, स्वयं चार द्वारो वाले एक भिक्षागृह का निर्माण करता है, और वहां रहते हुए स्वयं को यह कहता है, 'चाहे संन्यासी हो अथवा ब्राम्हण, जो कोई भी इन चार दिशाओं में से किसी भी दिशा से यहां से गुजरेगा, मैं अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार उसका स्वागत करुंगा, तो निश्चित ही वह उसका केवल सेवक बनने की योग्यता रखता है, जिसने विवेक और सत्यता को प्राप्त कर लिया हों।'

'अम्बट्ठ, सत्यता और आचरण की सर्वोच्च पूर्णता में ये चार क्षरण है।'

4. 'अब, अम्बट्ठ, तुम क्या सोचते हो? क्या एक ही गुरु के अधीन शिष्यों की एक कक्षा के रुप में तुम्हें विवेक और आचरण की सर्वोच्च पूर्णता के संबंध में अनुदेश प्राप्त हो चुके है।'

'ऐसा नही है, गौतम। मेरा ज्ञान इतना कम है कि मै उसका दावा भी नही कर सकता। विवेक और आचरण की पूर्णता कितनी महान है। मैं किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण से दूर रहा हूं।'

' तब तुम क्या सोचते हो, अम्बट्ठ? यद्यपि तुमने विवेक और सौजन्य की यह सर्वोच्च पूर्णता पूर्णरुपेण प्राप्त नही की है, तो क्या तुमने अपने कंधो पर बोझ उठाने और एक ऐसे

मनुष्य की तरह गहन वन में प्रवेश करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो स्वेच्छा से यह शपथ ले सके कि वह केवल स्वयं गिरे हुए फलों पर निर्वाह करेगा?

'वह भी नही, गौतम।'

'तब तुम क्या सोचते हो, अम्बट्ठ? यद्यपि तुमने विवेक और सौजन्य की यह सर्वोच्च पूर्णता पूर्णरुपेण प्राप्त नही की है, और तुम स्वयं गिरे हुए फलों और कंद-मूल तथा फलों पर भी निर्वाह नही कर सकते, तो क्या तुम्हें किसी गांव अथवा नगर की सीमाओं पर स्वयं एक अग्नि-मंदिर का निर्माण करना, और एक ऐसे मनुष्य की तरह वहां रहना सिखाया गया है, जो स्वेच्छा से अग्नि-देव की सेवा करेगा।'

'वह भी नही, गौतम।'

'तब तुम क्यो सोचते हो, अम्बट्ठ? यद्यपि तुमने विवेक और सौजन्य की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त नही की है, और तुम स्वयं गिरे फलों और कंद-मूल तथा फलों पर निर्वाह नही कर सकते, और तुम अग्नि-देव की सेवा भी नही कर सकते, तो क्या तुम्हें स्वयं एक ऐसे स्थान पर चार द्वारों वाले भिक्षागृह का निर्माण करना सिखाया गया है, जहां चार उच्चतम मार्ग एक-दूसरे से मिलते हों, और जहां तुम एक ऐसे मनुष्य की तरह निवास कर सको, जो स्वेच्छा से यह शपथ लेगा कि चार दिशाओं में से किसी भी दिशा से जो कोई भी वहां से गुजरेगा, तो तुम अपनी योग्यता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका स्वागत करोगे।''

वह भी नही, गौतम।'

5. 'इसलिए, अम्बट्ठ, शिष्य के रुप में सर्वोच्च विवेक और आचरण के मामले में ही नही, अपितु उन चार क्षरणों में से किसी एक के संबंध मं भी, जिसके कारण विवेक और आचरण की पूर्ण प्राप्ति बाधित हो जाती है, तुम्हारे उचित प्रशिक्षण में कमी रह गई है, और तुम्हारे गुरु, ब्राम्हण पोष्करसाति ने भी तुम्हें यह कहावत बताई हैः 'ये मुंडित सिर वाले छद्मवेशी साधु, काले भृत्य, हमारे बांधवो के चरणों की धूल कौन है, जो तीनों वेदों के ज्ञान में पारंगत ब्राम्हणों से वार्ता करने का दावा करते है।' जब कि वह स्वयं अपेक्षाकृत न्यून कर्तव्यों में से किसी एक का भी पालन नही कर सके है (जिनके कारण मनुष्य ऊंचे कर्तव्यों की अपेक्षा करते है) देखो, अम्बट्ठ, तुम्हारे गुरु, ब्राम्हण पोष्करसाति ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है।

6. 'और, अम्बट्ठ, ब्राम्हण पोष्करसाति कौशल-नरेश प्रसेनजित के अनुदान का उपयोग करता है। लेकिन नरेश उसे अपनी उपस्थिती में आने की अनुमति नही देता है। जब वह उससे परामर्श करता है, तो वह उससे केवल आवरण के पीछे से बोलता है। यह कैसी बात है, अम्बट्ठ, कि प्रसेनजित, जिससे वह इस प्रकार का शुद्ध और विधी-सम्मत निर्वाह-व्यय स्विकार करता है, वह उसे अपनी उपस्थिती में आने की अनुमति नही देता। देखों, अम्बट्ठ तुम्हारे गुरु, ब्राम्हण पोष्करसाति ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है।

7. 'अब तुम क्या सोचते हो, अम्बट्ठ? मान लो, राजा अपने हाथी की गर्दन पर या अपने घोड़े की पीठ पर बैठा है, अथवा अपने रथ के पायदान पर खड़ा है और वह अपने प्रमुखों अथवा राजकुमारों से राज्य के बारे में चर्चा करता है, और मान लो, जैसे ही वह अपने स्थान को छोड़कर एक तरफ चल जाता है, एक श्रमिक (शुद्र) अथवा श्रमिक का दास वहा आता है और वहां खड़े होकर उस विषय पर चर्चा करते हुए कहता है, 'राजा प्रसेनजित ने ऐसा-ऐसा कहा।' यद्यपि उसने राजा की तरह ही कहा हो और राजा की तरह ही चर्चा की हो, तथापि क्या उससे वह राजा बन जाएगा, अथवा उसका कोई अधिकारी ही बन जाएगा?'

'कदापि नही, गौतम।'

8. 'लेकिन ठीक इसी तरह, अम्बट्ठ, ब्राम्हणों के उन पुराने कवियों (ऋषियों), रचनाकारों, पद्य-गायकों के प्राचीन रुप में विद्यमान शब्दों को उन्हीं की धुन में अथवा संगीतबद्ध रुप में आज के ब्राम्हण पुनः गाते है, उनका पूर्वाभ्यास करते है और उन्हीं की तरह उनका पाठ करते है, जैसे अत्थका, वामका, वामदेव, यमदग्नि, अंगीरस, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप और भृगु। तुम कह सकते हो, 'एक शिष्य के रुप में मुझे उनके पद्य कंठस्थ है,' क्या उस आधार पर तुम ऋषि की पदस्थिति प्राप्त कर सकते हो? इस प्रकार की स्थिती का कोई अस्तित्व नही है।

9. 'अब तुम क्या सोचते हो, अम्बट्ठ? तुमने इस बारे में क्या सुना है, जब बूढ़े और अनुभवी तथा वयोवृद्ध ब्राम्हण, तुम्हारे गुरु और उनके गुरु वार्तालाप कर रहे थे, क्या वे पुराने ऋषि जिनके पद्यों को तुम गाते और दुहराते रहते हो, सुसज्जित होकर इत्र का प्रयोग करके, अपने बालों और अपनी दाढ़ी संवार कर, पुष्पहारों तथा रत्नों-सहित, सफेद

वस्त्र पहने हुए, पांचो ऐंद्रिय सुखों का पूर्ण आनंद लेते हुए, आत्म प्रदर्शन करते फिरते थे, जैसा कि अब तुम और तुम्हारे गुरु भी करते फिरते है।'

'वैसा नही, गौतम।'

'और क्या वे उत्तम पके हुए चावलों पर अपना निर्वाह करते थे, जिससे खराब दाने निकाल दिए गए हों, और जिसे विभिन्न प्रकार के मसालों और कढ़ी से जायकेदार बनाया गया हो, जैसा कि तुम और तुम्हारे गुरु अब करते है?

'वैसा नही, गौतम।'

'अथवा क्या झालरयुक्त और चुन्नटदार घाघरा पहने हुए स्त्रियां उनकी सेवा में तत्पर रहती थी, जैसे कि अब तुम्हारी और तुम्हारे गुरु की सेवा में रहती है?

'अथवा क्या वे वेणीयुक्त और चुन्नटदार पुंछो वाली घोड़ीयों द्वारा खींचे गए रथों को लंबे सोटे से हांकते फिरते थे, जैसा कि अब तुम और तुम्हारे गुरु करते है?

'वैसा नही, गौतम।'

'अथवा क्या उन्होंने लंबी तलवारों से सज्जित पुरुषों द्वारा, स्वयं को ऐसी किलेबंदी वाले नगरों में अभिरक्षित कराया है, जिनके चारों ओर खाइयां खुदी है और जिनके द्वारों के सामने कैंची द्वार लगाए गए थे, जैसा कि तुम और तुम्हारे गुरु करते है।'

'वैसा नही है, गौतम।'

10. 'तब, अम्बट्ठ, न तो तुम और न तुम्हारे गुरु ऋषि है और न तुम ऐसी स्थितियों में रहते हों, जिनमें ऋषि रहते थे। किंतु, अम्बट्ठ, चाहे कोई भी कारण हो, जिसकी वजह से तुम मेरे बारे में आशंका और भ्रांति में पड़े हो, तुम मुझसे पुछ सकते हो। मैं स्पष्टिकरण द्वारा उसे स्पष्ट कर दूंगा।

11. तब महाभाग अपने कक्ष से निकले और उन्होंने इधर से उधर विचरना आरंभ कर दिया। अम्बट्ठ ने भी वही किया और इस प्रकार महाभाग का अनुसरण करते हुए उसने महापुरुष में पाए जाने वाले बत्तीस लक्षण महाभाग के शरीर में है या नही, परखना चाहा। और उसे दो लक्षणों को छोड़कर सभी लक्षण दिखाई दिए। दो लक्षणों, प्रछन्न अंग और जिह्वा का विस्तार, के बारे में उसे शंका तथा भ्रम हुआ, और वह संतुष्ट और निश्चित नही हो पाया।

12. और महाभाग को ज्ञात था कि उसे इस प्रकार की शंका है। और उन्होंने अपनी अदभुत देन द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की कि ब्राम्हण अम्बट्ठ ने देखा कि महाभाग का वह अंग जिस वस्त्रों से आच्छादित होना चाहिए था, किस प्रकार एक खोल में समावृत्त था। और महाभाग ने अपनी जिह्वा को इस प्रकार घुमाव दिया कि उससे उन्होंने दोनों कानों को स्पर्ष किया और सहलाया, और अपने दोनों नासिका रंध्रो को स्पर्श किया और सहलाया और उन्होंने अपने मस्तक के समग्र भाग को अपनी जिह्वा से आवेष्ठि कर लिया।

युवा ब्राम्हण अम्बट्ठ ने सोचा- श्रमण गौतम महापुरुष के केवल कुछ लक्षणों से ही नही, अपितु पुरे बत्तीस लक्षणों से संपन्न है। और उसने महाभाग से कहा : 'अब, गौतम, हमार जाना हितकर रहेगा। हम व्यस्त है और हमें बहुत से कार्य करने है।'

'अम्बट्ठ, जो तुम्हें उपयुक्त लगे, वही करो।'

और अम्बट्ठ घोड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले अपने रथ पर चढ़ा और वहां से विदा हो गया।

13. उस समय ब्राम्हण पोष्करसाति ब्राम्हणों के बड़े समुह के साथ उक्कट्ठा से चला गया था, और अपने ही विहाराद्यान में बैठा हुआ वहां अम्बट्ठ की प्रतिक्षा कर रहा था। और अम्बट्ठ विहार में आया। और जब वह अपने रथ में वहां तक आया जहां तक रथों के लिए मार्ग सुगम था, वह रथ से उतर गया और पैदल ही वहां पहुंचा जहां पोष्करसाति थे, और उनका अभिवादन करके उसने सम्मानपूर्वक ढंग से एक ओर अपना आसन ग्रहण किया और उसके इस तरह आसीन हो जाने पर पोष्करसाति ने उससे कहा।

14. 'अच्छा, अम्बट्ठ, क्या तुमने महाभाग को देखा?

'हां, श्रीमान, हमने उन्हें देखा।'

'अच्छा, क्या श्रद्धेय गौतम वैसे ही है, जैसे उनकी ख्याति है, और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, उससे अन्यथा तो नही है। वह ऐसे ही है अथवा नही?

'वह वैसे ही है, श्रीमान, जैसे कि उनकी ख्याति घोषित करती है, उससे अन्यथा नही है। वह वैसे ही है, उससे भिन्न नहीं है। और वह महापुरुष के कुछ लक्षणों से ही नही, अपितु पुरे बत्तीस लक्षणों से संपन्न है।7

'और क्या, अम्बट्ठ, श्रमण गौतम से तुम्हारी कोई बात हुई?

'हां, श्रीमान, हुई।'

'और वार्ता कैसे रही?

तब अम्बट्ठ ने ब्राम्हण पोष्करसाति को उस पुरी बातचीत से अवगत कराया, जो कि महाभाग के साथ हुई थी।

15. जब वह इस प्रकार बोल चुका, तो पोष्करसाति ने उससे कहा : 'ओह, तुम कैसे ज्ञानाभिमानी हो। कितने मंद बुद्धि हो। ओह, तुम हमारे तीनों वेदों की विशेष जानकारी रखते हो। उनका कहना है कि जो मनुष्य इस प्रकार कार्य करता है, मृत्यु के पश्चात शरीर के क्षय हो जाने पर कष्ट और पीड़ा का निराशाजनक स्थिती में पुनर्जन्म लेता है। अपने अशिष्ट शब्दों में तुमने जिन प्रश्नों पर बल दिया, उनका क्या परिणाम? क्या वही नहीं है, जिसका कि श्रद्धेय गौतम ने प्रकटीकरण किया है? कितने ज्ञानाभिमानी, कितने मंद बुद्धि और हमारे तीनों वेदों के ज्ञान में निष्णात।' और क्रोधित तथा अप्रसन्न होकर उसने अम्बट्ठ को पैर मारकर धकेल दिया और उसने तत्काल महाभाग से मिलना चाहा।

16. लेकिन वहां मौजूद ब्राम्हणों ने पोष्करसाति से इस प्रकार कहा : 'श्रीमान, आज श्रमण गौतम से मिलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। सम्माननीय पोष्करसाति कल यह कार्य कर सकते है।'

पोष्करसाति ने अपने ही घर में पुष्ट और नरम, दानों ही प्रकार का मीठा भोजन तैयार करवाया और मशालों की तेज रोशनी में उसे वाहनों में रखवाया और उक्कट्ठा को चल पड़े। और वह स्वयं इच्छानंगल वनखंड की ओर अपना रथ हांकते हुए उस स्थान तक गया जहां तक वाहनों के लिए मार्ग सुगम था, और उसके बाद पैदल ही महाभाग के पास गया और जब उसने नम्रता तथा शालीनतापूर्वक महाभाग से अभिवादन और सम्मान का आदान-प्रदान कर लिया, तो उसने एक तरफ आसन ग्रहण कर लिया और महाभाग से बोला :

17. 'गौतम, क्या हमारा युवा शिष्य ब्राम्हण अम्बट्ठ यहां होकर गया है?'

'हां, ब्राम्हण, वह यहां आया था।'

'और, गौतम, क्या आपने उससे बात की थी?'

'हां, ब्राम्हण, मैंने की थी।'

'और आपने उससे किस विषय पर बात की थी?'

18. तब महाभाग ने, जो भी बात हुई थी, उसके बार में ब्राम्हण पोष्करसाति को बताया, और जब वह इस प्रकार बोल चुके, तो पोष्करसाति ने महाभाग से कहा : 'गौतम, वह युवा ब्राम्हण अम्बट्ठ अज्ञानी और मुर्ख है। गौतम, उसे क्षमा कर दिजीए।'

19. और ब्राम्हण पोष्करसाति ने महाभाग के शरीर को ध्यानपूर्वक देख और उस पर महापुरुष के बत्तीस लक्षणों को परखा। उसे दो लक्षणों को छोड़कर सभी लक्षण सष्ट दिखाई दिए। खोल मे, प्रच्छन्न अंग और सुदीर्घ जिह्वा, इन दो लक्षणों के बारे में वह अब तक शंका और अनिर्णय की स्थिती में था। लेकिन महाभाग ने पोष्करसाति को वे लक्षण दिखा दिए, जैसे कि अम्बट्ठ को भी दिखाए थे, और पोष्करसाति ने देखा कि महाभाग महापुरुष के कुछ ही लक्षणों से ही नही, अपितु पुरे बत्तीस लक्षणों से संपन्न है, और उसने महाभाग से कहा : 'क्या श्रद्धेय गौतम, संघ के सदस्यों सहित कल का भोजन मेरे साथ करने की कृपा करेंगे?' और महाभाग ने मौन रहकर उसकी प्रार्थना स्विकार कर ली।

20. तब ब्राम्हण पोष्करसाति ने यह देखते हुए कि महाभाग ने (कल के लिए) प्रार्थना स्विकार कर ली है, समय की घोषणा की : 'समय हो गया है, गौतम, भोजन तैयार है।' और तब महाभाग ने जो प्रातः ही तैयार हो चुके थे, अपना चीवर पहना और अपना पात्र लेकर बांधवो के साथ पोष्करसाति के घर पर पहुंचे और अपने लिए तैयार किए गए आसन पर बैठ गए। और तब ब्राम्हण पोष्करसाति ने अपने हाथों से पुष्ट और नरम, दोनों ही प्रकार का स्वादिष्ट भोजन महाभाग को और उनके संघ के युवा ब्राम्हण सदस्यों को तब तक परोसा, जब तक कि वे तृप्त नही हो गए और उन्होंने और भोजन ग्रहण करने से इंकार नही कर दिया, और जब महाभाग भोजन कर चुके, तो उन्होंने अपना पात्र धोया और हस्त प्रक्षालन किया। पोष्करसाति ने नीचे आसन ग्रहण किया और उनके पार्श्व में बैठ गया।

21. और तब इस प्रकार बैठे हुए उससे महाभाग ने उपयुक्त क्रमानुसार बात की, अर्थात उन्होंने उसे उदारता, सद्आचरण, स्वर्ग और भय के बारे में, मिथ्याभिमान और लोभ की विकृती और त्याग के लाभों के विषय में बताया। और जब महाभाग ने देखा कि ब्राम्हण पोष्करसाति प्रकटतः नरम, पूर्वाग्रह से मुक्त, उन्नत और हृदय से आस्थावान बन चुका है, तब उन्होंने उस सिद्धांत की घोषणा की, जिस पर केवल बुद्ध ही विजय पा सके है, अर्थात दुख का सिद्धांत, उसका मूल, उसकी समाप्ति और इस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग। और जिस प्रकार एक स्वच्छ वस्त्र, जिसके सभी दाग धो दिए गए है, तुरंत रंग ग्रहण कर लेता है, ठिक उसी प्रकार

ब्राम्हण पोष्करसाति को वहां बैठे सत्य को निखरने के लिए शुद्ध और स्वच्छ दृष्टि प्राप्त हो गई, और उसे ज्ञात हुआ, 'जिस किसी का भी प्रारंभ होता है, उसके साथ ही उसकी समाप्ति की आवश्यकता भी निहित है।'

22. और तब ब्राम्हण पोष्करसाति ने, जिसने अब सत्य का दर्शन कर लिया था, उस पर विजय प्राप्त कर ली थी, उसे समझ लिया था, उसका गहन चिंतन कर लिया था, जो शंका से परे हो गया था, भ्रांति से मुक्ति पा ली थी और पूर्ण विश्वास प्राप्त कर लिया था, और जो स्वामी के उपदेश के अपने ज्ञान के लिए किसी अन्य पर आश्रित नही था- महाभाग को संबोधित किया और कहा :

'परम श्रेष्ठ, हे गौतम, आपके मुख से निकले ये शब्द परम श्रेष्ठ है। ठीक ऐसे ही, जैसे कोई मनुष्य किसी फेंकी हुई चीज को फिर से स्थापित करे, अथवा उसे प्रकट करे जो कुछ छिपाया गया हो, अथवा भटके हुए को सही मार्ग दिखाए, अथवा अंधेरे में प्रकाश ले आए जिससे आंखो वाले बाह्य रुपों को देख सकें, ठीक उसी प्रकार, स्वामी, श्रद्धेय गौतम ने मुझे विभिन्न रुपों में सत्य का ज्ञान कराया है। और मैं, हे गौतम, अपने पुत्रों, अपनी पत्नी, अपने संगी-साथियों सहित सत्य और संघ के लिए अपने पथप्रदर्शक के रुप में श्रद्धेय गौतम की शरण में आता हूं। श्रद्धेय गौतम, मुझे एक ऐसे शिष्य के रुप में स्विकार करें, जिसने आज से जीवन पर्यंत उन्हें अपना पथप्रदर्शक बना लिया है। और जिस प्रकार श्रद्धेय गौतम उक्कट्ठा में अन्य लोगों के परिवारों और अपने शिष्यों के पास जाते है, वह मेरे परिवार में भी आए। और वहां जो कोई भी हों, ब्राम्हण अथवा उनकी पत्नियां, वे श्रद्धेय गौतम के प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे, अथवा उनकी उपस्थिती में खड़े होंगे, अथवा उन्हें आसान और जल भेंट करेंगे, अथवा उनकी उपस्थिती से प्रसन्न होंगे, उन्हें दिर्घकाल तक सुख और आनंद की प्राप्ति होगी।'

'जो तुम कहते हो, ब्राम्हण, वह ठीक है।'

(यहां अम्बट्ठ सुत्त समाप्त होता है)

बुद्ध धम्म प्रचार समिति
कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर

दिनांक : 9,10,11 अगस्त 2013
स्थान : 'रॉक हॉस्पीटल' कोंडासावली, ता. पारशिवनी, जि. नागपुर.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने संकल्प लिया था- 'मैं संपूर्ण भारत बौद्धमय करूंगा'। इसका अर्थ है मैं संपूर्ण भारत को सदाचारी और सुखी राष्ट्र करूंगा। जरा सोचे, कितना महान संकल्प है यह! उन्होंने अपने जीवन में बड़े संकल्प लिए और उन्हें पूरा किये। यदि हम बाबासाहेब के सच्चे अनुयायी है और दृढ़ निश्चय करे तो हम उसे पूरा कर सकते है।

बुद्ध धम्म का प्रचार करते समय हमें बाबासाहेब के आन्दोलन का और बुद्ध के धम्म का सही-सही ज्ञान होना जरूरी है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर बुद्ध धम्म प्रचार समिति द्वारा 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। अपने कर्तव्य का अहसास है ऐसे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि, इस शिविर में सम्मिलित होकर बाबासाहेब द्वारा संकल्पीत महान कार्य के सहयोगी बने।

टाईम टेबल

समय				विषय
दिनांक : 09.08.2013				
सुबह	11.00 बजे से	1.00 बजे तक	-	आंबेडकरी आन्दोलन
दोपहर	1.00 बजे से	2.00 बजे तक	-	भोजन
दोपहर	2.00 बजे से	4.00 बजे तक	-	बुद्ध और उनका धम्म
शाम	4.00 बजे से	5.00 बजे तक	-	चाय
शाम	5.00 बजे से	7.00 बजे तक	-	आंबेडकरी आन्दोलन
रात्री	7.00 बजे से	9.00 बजे तक	-	प्रश्नोत्तर और सामुहीक चर्चा

दिनांक : 10.08.2013

सुबह	9.00 बजे से	1.00 बजे तक	-	आंबेडकरी आन्दोलन
दोपहर	1.00 बजे से	2.00 बजे तक	-	भोजन
दोपहर	2.00 बजे से	4.00 बजे तक	-	बुद्ध और उनका धम्म
शाम	4.00 बजे से	5.00 बजे तक	-	चाय
शाम	5.00 बजे से	7.00 बजे तक	-	बुद्ध और उनका धम्म
शाम	7.00 बजे से	9.00 बजे तक	-	प्रश्नोत्तर और सामुहिक चर्चा

दिनांक : 11.08.2013

सुबह	9.00 बजे से	1.00 बजे तक	-	आंबेडकरी आन्दोलन
दोपहर	1.00 बजे से	2.00 बजे तक	-	भोजन
दोपहर	2.00 बजे से	4.00 बजे तक	-	बुद्ध और उनका धम्म
शाम	4.00 बजे से	6.00 बजे तक	-	चाय, प्रश्नोत्तर, आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा और निर्णय

अध्यक्ष/सचिव
बुद्ध धम्म प्रचार समिति
मो. नं. 09753899561

नोट :
1. प्रशिक्षण खर्च हेतु प्रत्येक कार्यकर्ता कम से कम 300 रूपये की सहयोग राशी जमा करेंगे।
2. जो कार्यकर्ता किसी कारणवश नहीं आ सकते वह अपने क्षेत्र के इच्छुक कार्यकर्ताओं को आर्थिक सहायता देकर शिविर में भेजे।
3. साथ में नोट-बुक,पेन,छाता, टार्च और 2 बेडशीट लावे।
4. समय और अनुशासन का ध्यान रखे।
5. शिविर प्रारंभ होने के कम से कम 2 घन्टे पूर्व शिविर स्थल पर पहुंचे और पूरे समय शिविर में उपस्थित रहे।
6. दिनांक 9.8.2013 को सुबह 8.00 बजे 'कस्तुरचंद पार्क' नागपुर से प्रशिक्षण स्थल पर समिति के वाहन द्वारा पहुंचाया जायेगा तथा दिनांक 11.8.2013 को शाम 6.00 बजे प्रशिक्षण स्थल से नागपुर पहुंचाया जायेगा।

सम्पर्क के लिए मोबाईल नंबर

09970616106, 09860282936, 09224351635, 09423102300,
08421753408, 09422552424, 09325687891, 09422126482

कृपया स्विकृति पत्र निम्नलिखित पत्ते पर शिघ्र भेजे।

केशव सोमकुवर,
363, बाबा बुद्धाजी नगर, कामठी रोड, नागपुर-440 017.

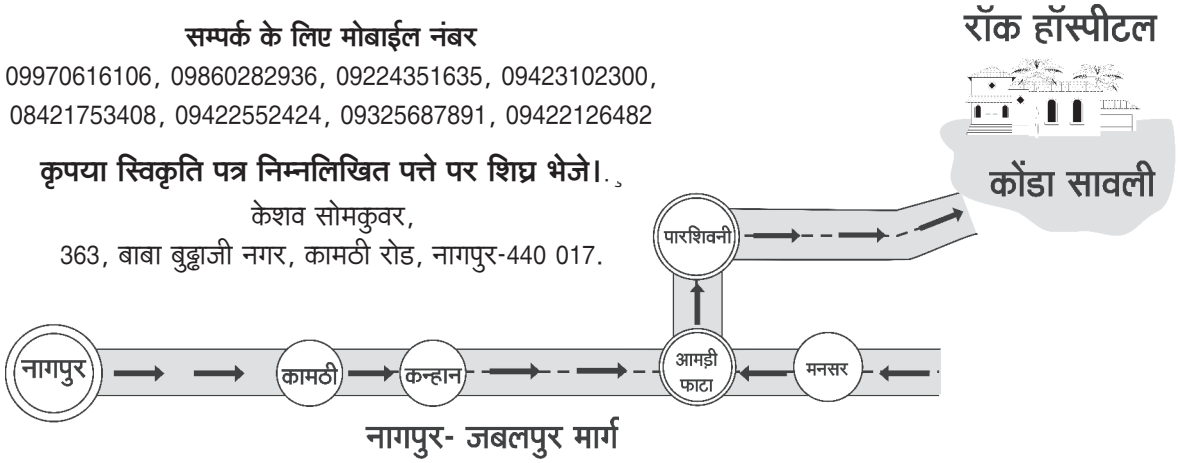

नागपुर- जबलपुर मार्ग

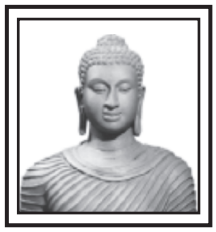

बुद्ध और उनका धम्म

लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

गृहस्थों के जीवन-नियम (विनय)

ग1. धनियों के लिये जीवन-नियम

(i)

1. 'दरिद्रता' को ''जीवन का सौभाग्य' माने ऐसा बुद्ध ने दरिद्रता का गौरव नही किया।
2. न उन्होंने गरीबों को कहा कि तुम संतुष्ट रहो क्योंकि तुम ही सारी पृथ्वी के उत्तराधिकारी हो।
3. बल्कि, इसके विरुद्ध उन्होंने धन का स्वागत किया। जिस बात पर उन्होंने जोर दिया वह यह थी कि धन पर भी जीवन-मर्यादा का अंकुश लगा रहना चाहिये।

(ii)

1. एक बार जहाँ बुद्ध विराजमान् थे, वही अनाथपिण्डिक पहुंचा। आकर उसने तथागत को अभिवादन किया और एक और एक बैठकर बोला--'क्या तथागत! आप कृपया बतायेंगे कि वे कौन सी बातें है जो गृहस्थी के अनुकूल है, गृहस्थ को अच्छी लगने वाली हैं, गृहस्थ के द्वारा स्वागतार्ह हैं, लेकिन जिनका प्राप्त करना कठिन है।''
2. अनाथपिण्डक का प्रश्न सुना तो तथागत ने उत्तर दिया--''ऐसी बातों में पहली बात है न्यायतः धन प्राप्त करना।
3. ''दूसरी बात है यह देखना कि सगे-सम्बन्धी भी न्यायतः धन प्राप्त कर सकें।
4. तीसरी बात है दीर्घ-जीवी होना।
5. ''इन तीन बातों की प्राप्ती से पहले, जो गृहस्थी के अनुकूल है, गृहस्थ को अच्छी लगने वाली है, गृहस्थ के द्वारा स्वागतार्ह हैं, चार बातें पूर्व-करणीय है। वे है श्रद्धायुक्त होना, शील युक्त होना, उदारता युक्त होना तथा प्रज्ञा युक्त होना।
6. श्रद्धा युक्त का मतलब है तथागत के बारे में इस पदार्थ जानकारी का होना कि 'वे तथागत अर्हत है। सम्यक् सम्बुद्ध है। विद्या तथा आचरण से युक्त है। सुगत है। लोक (विश्व) के जानकार है। लोगों के अतुलनिय प्रशिक्षक है। तथा वे देव-मनुष्यों के मार्गदाता है।'
7. ''शीलयुक्त आचरण प्राणातिपात (जीवहिंसा) अदिन्न दान (चोरी) काम-मिथ्याचार (व्यभिचार), मृषावाद (असत्य) तथा नशीली वस्तुओं के त्याग में हैं।
8. ''उदारता युक्त आचरण कंजूसपन के कलंक से दूर रहने में है, उदार बने रहने में है, खुला हाथ रखने में है, दूसरो को देने में आनन्द मनाने में है, दाता और दान-शील होने में है।
9. ''प्रज्ञायुक्त आचरण किस बात में है? प्रज्ञायुक्त आचरण इस बात के जान लेने में है कि जिस गृहस्थ का मन लोभ के वशीभूत रहता है, लालच के वशीभूत रहता है, द्वेष के वशीभूत रहता है, आलस्य के वशीभूत रहता है, तन्द्रा के वशीभूत रहता है तथा चित्त की व्याकुलता के वशीभूत रहता है, वह पाप-कर्म करता है, जो करना चाहिये वह नहीं करता है। इसके फलस्वरुप उसे न सुख की प्राप्ति होती है और न सम्मान की।
10. ''लोभ, लालच, द्वेष, आलस्य, तन्द्रा, चित्त की अस्थिरता तथा संशयालुपन--ये सब चित्त के धब्बे है। जो गृहस्थ अपने चित्त को इन धब्बो से मुक्त कर लेता है, उसे महान प्रज्ञा, अधिकतम प्रज्ञा, साफ दृष्टी ओर पूर्ण प्रज्ञा प्राप्त होती है ।
11. ''इस प्रकार न्यायतः, बडे परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर जो धन कमाता है वह बडा धन्य है। ऐसा गृहस्थ अपने आप को सुखी और आनदिन्त करता है तथा आनन्द-मग्न रहता है। वह अपने माता-पिता, अपने स्त्री-बच्चों, अपने नौकरो और मजदुरों तथा अपने-दोस्तो को सुखी और आनन्दित करता है तथा सभी को आनन्द-मग्न रखता है।''

2. गृहस्थ के जीवन के लिये नियम

1. इस विषय में बुद्ध के विचार उस सुत्त में आ गये है जो 'श्रृगाल को दिया गया उपदेश' के नाम से प्रसिद्ध है।''[2] उस समय बुद्ध राजगृह के बांस -वन मे कलंदक निवाप मे विहार कर रहे थे।
2. अब उस समय गृहपति-पुत्र तरुण श्रृगाल समय से उठा और राजगृह से बाहर जाकर गीले-केश, गीले-वस्त्र, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोडे हुए पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं को नमस्कार करने लगा--पूर्व, पश्चिम,

उत्तर, दक्षिण तथा ऊपर और नीचे।

3. उस दिन तथागत समय रहते ही, चीवर पहन, पात्र तथा चीवर ले राजगृह में भिक्षाटन के लिये निकले। उन्होंने तरुण श्रृगाल को इस प्रकार नमस्कार करते हुए देखा। पूछाः--''तू इस प्रकार पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा क्यों कर रहा है?''
4. '' मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि तुम पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा करना। इसलिये, तथागत! अपने पिता के वचनों के प्रति आदर होने के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ।''
5. तथागत ने पूछा--''लेकिन यह आदमी का सच्चा धर्म-कैसे हो सकता है?'' श्रृगाल बोला--''तो फिर आदमी का दूसरा और सच्चा धर्म-क्या होगा? यदि कोई है तो तथागत की बडी कृपा होगी, यदि तथागत बतायें।''
6. ''तो तरुण गृहपति! मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बताता हूँ।'' तथागत! बहुत अच्छा।'' तब तथागत ने कहाः--
7. ''कोई भी धर्म आदमी का सद्धर्म तभी कहला सकता है जब वह उसे बुरी बातो का त्याग करने की शिक्षा दे। प्राणियों की हिंसा करना, चोरी, व्यभिचार तथा झूठ--ये चार बुरीं बाते हैं, जिनका परित्याग करना चाहिये।
8. ''श्रृगाल! यह बात तू जान ले कि पाप-कर्म, पक्षपात, शत्रुता, मूर्खता तथा भय के कारण किये जाते है। यदि आदमी इनसे मुक्त हो तो वह कोई पाप-कर्म न करेगा।
9. ''कोई भी कर्म आदमीका धर्म तभी हो सकता है जब वह उसे अपने धन को बरबाद करने की शिक्षा न दे। आदमी का पैसा शराब पीने की आदत पड जाने से बरबाद होता है, अनुचित समय पर रात को बाजारों में घूमने से बरबाद होता है, मेले-तमाशे देखते-फिरने से बरबाद होता है, जुए की आदत पड जाने से बरबाद होता होता है, कुसंगति में पड जाने से बरबाद होता है और आलसी बन जाने से बरबाद होता है।
10. ''श्रृगाल! शराब की लत पड जाने से छः हानियाँ है--(1) धन की हानि, (2) कलह होना, (3) रोग की सम्भावना, (4) दुश्चरित्रता, (5) भद्दी नग्नता, तथा (6) बुद्धि की हानि।
11. ''अनुचित समय पर रात को बाजारों में घूमने की छः हानियाँ है--(1) वह स्वयं अरक्षित होता है, (2) उसके स्त्री-बच्चे अरक्षित होते हैं, (3) उसकी सम्पत्ति अरक्षित रहती है, (4) जिन अपराधों के करने वालों का पता नहीं लगता उस पर उनका सन्देह किया जाता है, (5) उसके बारे में झूठी अफवाह फैल जाती है तथा (6) और भी अनेक दुःख भुगतने पडते है।
12. मेले-तमाशे देखते फिरने की आदत में छः दोष है-- (1) वह हमेशा यही सोचता रहता है कि नाच कहाँ है? (2) गाना कहाँ है? (3) बजाना कहाँ है? (4) काव्य-गाना कहाँ है? (5) घंटियों का बजाना कहाँ है? टॅम-टॅम बाजा कहाँ है?
13. ''जुआ खेलने की लत पड जाने की हानियाँ है--(1) जीतने पर घृणा का पात्र बनता है, (2) हारने पर अपनी हार से दुःखी होता है, (3) उसका गुजारा ही नष्ट हो जाता है, (4) अदालत में उसके वचन का कोई मूल्य नहीं होता, (5) वह मित्रों तथा राजकर्मचारियों की घृणा का पात्र बन जाता है, (6) कोई शादी करने वाला उससे सम्बन्ध स्थापित करना नहीं चाहता, क्योंकि उसका कहना होता है कि जुआरी अपनी पत्नि का पालन-पोषण नहीं कर सकता।
14. ''कुसंगति के छः दोष हैं--(1) कोई जुआरी, (2) कोई आवारा-गर्द, (3) कोई शराबी, (4) कोई ठग, (5) कोई वंचक अथवा (6) कोई भी हिंसक उसका मित्र बन जाता है।
15. ''आलसी होने में छः दोष है--(1) बहुत ठंड है, कहकर वह काम नहीं करता; (2) बहुत गरमी है, कहकर वह काम नहीं करता; (3) बहुत जल्दी है, कहकर वह काम नहीं करता; (4) बहुत देर हो गई है, कहकर वह काम नहीं करता; (5) बहुत भूख लगी है, कहकर काम नहीं करता; तथा (6) बहुत खा लिया है, कहकर काम नहीं करता। और क्योंकि जो जो उसे करना चाहिये था, वह सब बिना किया ही रहता है, इसलिये वह कुछ नया भी अर्जित नहीं कर सकता; जो अर्जित रहता है, वह भी नष्ट हो जाता है।
16. ''कोई भी धर्म आदमी का सद्धर्म तभी कहला सकता है जब वह आदमी को अच्छे-बुरे मित्र की पहचान करायें।
17. ''चार जनों को 'मित्र' रुप में शत्रु समझना चाहिये--(1) जो लोभी हो, (2) जो कहता हो, लेकिन करता न हो, (3) जो खुशामदी हो, (4) जो फजूल-खर्ची का साथी हो।
18. ''इनमें से प्रथम को इसलिये ''मित्र' के रुप में शत्रु समझना चाहिये, क्योंकि वह लोभी होता है, वह देता कम है और मांगता अधिक है। वह जो कुछ करता है, वह भय के मारे करता है। वह अपने स्वार्थ का ही ध्यान रखता है।
19. ''जो कहता है, किन्तु करता नहीं, उसे भी 'मित्र' रुप में शत्रु समझना चाहियें, क्योंकि वह अपनी भूतकाल की मित्रता की बात करता है, वह भविष्य में मैत्री-पूर्ण व्यवहार की बात करता है, वह वचन-मात्र से ही लाभ उठाना चाहता है किन्तू जब कुछ भी करने का समय

आता है, वह अपनी असमर्थता प्रकट कर देता है।

20. ''जो खुशामदी है, उसे भी 'मित्र' रुप में शत्रु ही समझना चाहिये, क्योंकि वह बुराई में साथ देने वाला बन जाता है, भलाई में साथ देने वाला नहीं बनता, वह मुंह पर प्रशंसा करता है, पीठ पीछे निन्दा करता है।
21. ''जो फजूल-खर्ची का साथी हो, उसे भी 'मित्र' के रुप में शत्रु ही समझना चाहिये, क्योंकि असमय बाजार घूमने के समय ही वह साथी होता है; जब तुम
    मेले-तमाशे देखते फिरते हो, उसी समय वह तुम्हारा साथी होता है; जब तुम जूआ खेलने में लगे होते हो, उसी समय वह तुम्हारा साथी होता है।
22. ''चार तरह के मित्रो को यथार्थ-मित्र जानना चाहिये-- (1) जो सहायक हो, (2) जो सुख-दुःख दोनो का साथी हो, (3) जो अच्छा परामर्श देता हो तथा (4) जो सहानुभूति रखता हो।
23. ''जो सहायक हो उसे यथार्थ जानना चाहियेः क्योंकि जब तक तुम अरक्षित अवस्था में होते हो, उस समय वह तुम्हारा संरक्षण करता है; जब तुम्हारी सम्पत्ति अरक्षित रहती है उस समय वह उसका संरक्षण करता है, जब तुम भयभित होते हो तब वह तुम्हारा शरण-स्थान होता है--जब तुम्हें आवाह-विवाह जैसा कोई काम करना होता है तो वह तुम्हारी आवश्यकता में दुगुनी वस्तुयें तुम्हें लाकर देता है।
24. ''जो सुख-दुःख दोनों में साथी हो उसे यथार्थ-मित्र जानना चाहिये क्योंकि वह तुम्हें अपने 'रहस्य' बता देता है, क्योंकि वह तुम्हारी 'रहस्य' की बातों को छिपा कर रखता है, तुम्हारी मुसीबत में वह तुम्हारा साथ नहीं छोडता, वह तुम्हारे लिये अपने जीवन तक का बलिदान कर देता है।
25. ''जो-सद्-परामर्श देता हो उसे 'यथार्थ-मित्र' जानना चाहिये; क्योंकि वह तुम्हे बुराई से रोकता है, वह तुम्हें शुभ-कर्म करने के लिये प्रेरित करता है, जो बाते तुमने पहले नहीं सुनीं, ऐसी बाते सुनाता है--वह तुम्हारे लिये स्वर्ग का मार्ग खोलता है
26. ''जो सहानुभूति रखता हो, उसे भी उसे भी 'यथार्थ-मित्र' जानना चाहिये, क्योंकि तुम्हें दुःखी देखकर वह सुखी नहीं होता, तुम्हें सुखी देखकरवह सुखी होता है, तुम्हारी बुराई करने वाले को वह रोकता है। तुम्हारी प्रशंसा करने वाले का वह समर्थन करता है।
27. ''किसी को छः दिशाओं की पूजा करने की शिक्षा देने के बजाये जो धर्म आदमी का धर्म कहलाने के योग्य हो, उस धर्म की उसे शिक्षा देनी चाहिये कि वह अपने माता-पिता की सेवा और उनका सत्कार करे, अपने गुरुओं तथा आचार्यों का आदर करे, अपनी स्त्री तथा अपने बच्चों को प्यार करे, अपने मित्रों तथा अपने साथियों से स्नेहपूर्ण बरताव करे तथा अपने नौकरों और कामकरों की सहायता करे।''

3. बालकों के लिये जीवन-नियम

1. ''एक बालक को अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिये। उसे सोचना चाहियेः एक समय इन्होंने मेरा पोषण किया, अब मैं इनका पोषण करुंगा। इनके प्रति जो मेरा कर्तव्य है, मै उसे पूरा करुंगा। मैं अपनी वंश-परम्परा को कायम रखूंगा। मैं अपने आप को उत्तराधिकारी के योग्य बनाऊंगा। क्योंकि माता-पिता नाना प्रकार से सन्तान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते है, वे उसे बुराई से बचाते हैं, वे उसे भला काम करने के लिये प्रेरित करते हैं, वे उसे किसी जीवीका के योग्य बनाते हैं, वे उसका यथायोग्य विवाह करते हैं और उचित समय पर वे उसे उसका उत्तराधिकार सौंप देते हैं।''

4. शिष्य के लिये जीवन-नियम

1. ''एक शिष्य को अपने आचार्यो के प्रति यथायोग्य बर्ताव करना चाहिये। उसे अपने स्थान से उठकर अभिवादन करना चाहियें, उसे पढने-लिखने में विशेष उत्साह दिखाना चाहिये, उसे अपने आचार्य की व्यक्तिगत सेवा करनी चाहिये और शिक्षा ग्रहण करते समय विशेष ध्यान देना चाहिये। क्योंकि आचार्य अपने शिष्यों से प्रेम करते है। जो कुछ सीखा है,वह उसे सिखाते है; जो कुछ उन्होंने दृढतापूर्वक ग्रहण किया है, वह उसे ग्रहण कराते है। वे उसे हर प्रकार के शिल्प का अच्छी तरह ज्ञान कराते है। वे उसके मित्रों और साथियों में उसकी प्रशंसा करते है। वे हर तरह से उसकी सुरक्षा की चिन्ता करते है।''

5. पति-पत्नी के लिये जीवन - नियम

1. ''एक पति को अपनी पत्नी का सत्कार करना चाहिये, उसके प्रति आदर-भाव प्रदर्शित करना चाहिये, पत्नि-व्रत पालन करना चाहिये, उसे अधिकारी बनाना चाहिए, तथा उसे गहने आदि बनवाकर देने चाहीये। क्योंकि स्त्री उसे प्यार करती है,उसके सभी कार्य अच्छी तरह करती है, वह उसके तथा अपने मायके के सभी सम्बन्धियों का आतिथ्य करती है, वह पति व्रता होती है, उसके लाये सामान की रक्षा करती है और अपने तमाम कर्तव्यों को बडी होशियारी तथा दक्षता से पूरा करती है।
2. ''एक कुल-पुत्र को अपने मित्रों तथा साथियों के साथ उदारता का व्यवहार करना चाहियें, शालीनता तथा उदाराशयता से पेश आना चाहिये। उसे उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिये जैसा वह अपने साथ करता है

और उसे अपने वचन का पक्का होना चाहिये। क्योंकि उसके मित्र और उसके परिचित उसे प्यार करते है, उसकी अरक्षित-स्थिति में वह उसकी रक्षा करते है और ऐसे समय में उसकी सम्पत्ति की रक्षा करते है। खतरे के समय वे उसके शरण-स्थान होते है। मुसीबत पडने पर वे साथ नहीं छोडते। वे उसके परिवार का ख्याल रखते है।''

6. मालिक और नौकर के लिये जीवन-नियम

1. ''एक मालिक को चाहिये कि वह अपने नौकरों तथा मजदुरो को उनके सामर्थ्य के अनुसार काम दे, उन्हें भोजन तथा मजदूरी दे, बीमारी में उनकी देख-भाल करे, असाधारण स्वादिष्ट चींजे बाँट कर खाए और समय समय पर उन्हें छुट्टी भी दे। क्योंकि नौकर और कामकर अपने मालिक से प्रेम करते है, वे उससे पहले सोकर उठते है, उसके सो जाने पर सोने जाते है, जो कुछ मिलता है उसी से संतुष्ट रहते है। वे अपना काम अच्छी तरह से करते है और सर्वत्र उसका यश फैलाते है।''
2. ''एक कुल-पुत्र को चाहिये कि वह अपने गुरुओं की मन-वचन तथा कर्म से प्रेमपर्वूक सेवा करे, उनके लिये सदैव अपने घर के द्वार खुले रखे तथा उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। क्योंकि गुरुजन उसे बुराई से बचाते है, उसे भलाई करने की प्रेरणा करते है, वे उससे मैत्री रखते है, जो उसने अभी तक नहीं सुना वह उसे सुनाते है तथा जो सुना है उसे ठीक और निर्दोष बनाते है।''

7. उपसंहार

1. तथागत के इस प्रकार कहने पर तरुण गृहपति श्रृगाल बोला--''तथागत अद्‌भूत है! जैसे कोई उखडे को जमा दे, अथवा ढके को उघाढ दे, अथवा किसी पथ-भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, अथवा अन्धेरे में रास्ता दिखा दे कि आंख वाले रास्ता देख लेंगे। इसी प्रकार तथागत ने नाना तरह से सत्य का प्रकाश कर दिया है।''
2. ''और मैं भी, बुद्ध, धम्म तथा संघ की शरण जाता हूँ। कृपया तथागत आप मुझे प्राण रहते तक अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें।''

8. कुमारियों के लिये जीवन नियम

1. एक बार तथागत बुद्ध भद्दिय के पास जातीय वन में ठहरे हूए थे।[2] मेण्डक का पौत्र उग्गह वहाँ आया और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। उस प्रकार बैठे हुए उग्गह ने तथागत से निवेदन कियाः--
2. ''तथागत! अन्य तीन भिक्षुओं के साथ कल के लिये मेरा भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें।''
3. तथागत ने अपने मौन से स्वीकार किया।
4. जब उग्गह ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, वह अपने स्थान से उठा, अभिवादन किया और तथागत की आज्ञा लेकर चला गया।
5. रात के बीत जाने पर, दूसरे दिन तथागत ने पूर्वान्ह के समय चीवर धारण किया और पात्र तथा (दूसरा) चीवर ले, जहाँ उग्गह का घर था वहाँ गये और बिछे आसनपर बैठे। उग्गह ने तथागत को अपने हाथ से नाना प्रकार के भोजनों से तृप्त किया।
6. जब तथागत भोजन समाप्त कर चुके, तो वह एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने कहाः--
7. ''तथागत! मेरी ये लडकियाँ अपने अपने पति के घर चली जायेंगी। तथागत! आप उन्हें परामर्श दें, जो चिरकाल तक उनके हित तथा सुख का कारण हो।''
8. तब तथागत ने उन लडकियों को उपदेश दिया--''लडकियों! इस प्रकार का अभ्यास डालों कि हमारा हित और भलाई चाहने वाले हमारे कारूणीक माता-पिता जिस किसी पति को भी हमें सौंप देंगे, हम उससे पहले सोकर उठने वाली होंगी, और उसके बाद सोने वाली होगी, हम काम करने वाली होंगी और सभी चीजों को व्यवस्थित रखने वाली तथा मधुर-भाषिणी होंगी। लडकियों! तुम्हें ऐसा अभ्यास डालना चाहिये।''
9. ''लडकियों! और यह भी अभ्यास डालना चाहिये कि हमारे पति के माता-पिता, सगे सम्बन्धी तथा साधुगण--जो कोई भी घर आयें, उनका आदर करने वाली होंगी, उनका स्वागत करने वाली होंगी, उनके आने पर उन्हें आसन और जल देने वाली होंगी।''
10. ''लडकियों! और यह भी अभ्यास डालना चाहिये कि हमारे पति का जो भी काम होगा--चाहे ऊन का हो और चाहे रुई को हो--हम उससे दक्ष और होशियार होंगी। हम उस काम की समझ हासिल करेंगी जिससे हम उसे स्वयं कर सकें, करा सकें।''
11. ''लडकियों! और यह भी अभ्यास डालना चाहिये कि घर के जितने नौकर-चाकर होंगे हम उन सबके काम की देख-भाल रखेंगी कि किसने क्या और कितना काम किया है और क्या और कितना काम नहीं किया है? हम रोगियों का बल और दुर्बलता जानेंगी, और जिसको जैसा भोजन देना चाहिये वैसा भोजन देंगी।''
12. ''लडकियों! और यह भी अभ्यास डालना चाहियें कि जो रुपया, जो धान, जो सोना तथा चांदी पति घर लायेंगे, हम उसे सुरक्षित रखेंगी, उसकी हिफाजत करेंगी ताकि कोई चोर, कोई उचक्का, कोई डाकू उसे न ले जा सके।''
13. यह उपदेश सुनने को मिला तो उग्गह की लडकियाँ बहुत प्रसन्न हुईं। वे तथागत की बडी कृतज्ञ थीं।

वर्तमान घटनाक्रम

✦ **राष्ट्रीय अनाज सुरक्षा बिल**

हालही केन्द्रीय कॅबिनेट द्वारा राष्ट्रीय अनाज सुरक्षा बिल को मंजुरी दी है। अब यह बिल संसद में पेश होगा। इस बिल में इन मुख्य बातों का समावेश है :-

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कम दरों में अनाज का वितरण

2. सभी गर्भवती महिलाओं को लाभ

3. बच्चों को स्थानिय आंगणवाडी या प्राथमिक विद्यालयों से पौष्टीक आहार।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हर पात्र परिवार को प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो अनाज दिया जायेगा। गेंहु 3 रूपये प्रति किलो, चावल 2 रूपये किलो और कनकी 1 रूपये किलो के भाव से दिया जायेगा। इस सुविधा के पात्र 75 प्रतिशत परिवार ग्रामिण क्षेत्र से तथा 50 प्रतिशत शहरी क्षेत्र से होगे। कुछ राज्यों में सस्ते अनाज में दालें और खाने का तेल भी सस्ते दामों में वितरित किया जाता है। परन्तु इनका समावेश केन्द्रीय अनाज सुरक्षा बिल में नहीं किया गया है। परिवारों के पात्रता के संबंध में निश्चित नियम नहीं बनाये है। पात्रता तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। सरकारी नौकरशाहों के चक्कर काटने पड़ेंगे, भ्रष्टाचार होगा और अयोग्य परिवार को भी पात्रता दी जायेगी। पात्रता के नियमों के अभाव में कोई परिवार अपनी पात्रता के लिए दावा नहीं कर सकेगा और जाति द्वेष के कारण कमजोर वर्गों के लोगों को वंचित रखा जायेगा। इसके अलावा अनाज के बदले बैंक खाते में राशी जमा करने का प्रावधान किया गया है जिसमें गड़बड़ी होने की आशंका है।

गर्भवती महिलाओं के लिए 6 माह तक के लिए 1000 रूपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है। जो बहुत कम है। इस बिल में बच्चों के अतिरिक्त भोजन का प्रावधन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अतिरिक्त भोजन, स्वास्थ्य सुरक्षा और स्कुल में जाने के पहले शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। परन्तु इस बिल में स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा का प्रावधान नहीं किया है। केवल अतिरिक्त भोजन का प्रावधान किया है।

अन्य मामलों में भी राष्ट्रीय अनाज सुरक्षा बिल कमजोर है।

1. इस बिल में शिकायत निवारण के लिए कमजोर प्रावधान किये है।

2. पके हुये भोजन के बदले बच्चों को अनाज देने का प्रावधान किया गया है। इस के कारण अनाज बनाने वाले फैक्ट्री मालिकों को और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जायेगा।

3. इस बिल में सबसे कमजोर तबके के निराधार लोगों के लिए और सामुहिक रसोई के लिए कोई विशेष प्रवाधान नहीं किया गया है।

4. स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक बातें जैसे गर्भवति महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधा, शुद्ध पेयजल और सफाई आदि का समावेश नहीं किया गया है। जनता स्वास्थ्य रहे इसलिए अनाज के साथ इन चिजों की भी आवश्यकता है। भारतीय नागरिकों का यह संवैधानिक अधिकार है और शासन द्वारा उसे मुहैय्या कराना चाहिए।

✦ **पंचायत राज से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है - दलित सरपंच जातिभेद के शिकार**

भारतीय संविधान में 73 वे संशोधन 1992 के बाद पंचायत राज प्रारंभ हुआ। स्थानिय निकायो में अनु. जाति और अनु. जनजाति के उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तथा रोटेशन के आधारपर उनके सरपंच बनने लगे। परन्तु दलित समुदाय के सरपंचो को अपनी मर्जी से काम नहीं करने दिया जाता। तथाकथित उंची जाति के सदस्य निर्णय लेते है और उसपर सरपंच की सही ली जाती है। जातिभेद के कारण कई पंचायतों में उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता, स्वतंत्रता दिन के अवसर पर उन्हें तिरंगा ध्वज फहराने नहीं दिया जाता। मिटींग के समय तथाकथित उंची जाति के लोग कुर्सीपर बैठते है और सरपंच निचे बैठते है। कुछ सरपंचों को तो उनकी पंचायत में हो रहे कार्य की भी जानकारी नहीं होती है। सभी रिकार्ड और चेकबुक उंची जातियों के सदस्यों के पास होते है। कुछ पंचायतों में दलित सरपंचो को पंचायत भवन में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता है। यदि दलित सरपंचो ने सवर्णो की बात नहीं मानी तो उनकी हत्या भी की जाती है।

दलित सरपंचों का उपरोक्तानुसार उत्पीड़न कम-अधिक मात्रा में भारत के हर राज्य में हो रहा है। प्रज्ञा प्रकाश द्वारा पिछले दिनों गुजरात के दलित सरपंचों के उत्पिड़न के उदाहरण प्रकाशित किये थे। इस अंक में तामिलनाडू में दलित उत्पीड़न की स्थिति को प्रकाशित किया जा रहा है। तामिलनाडु में 2011 में हुये पंचायती चुनाव में 3,136 दलित सरपंच चुनकर आये थे। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सर्वेक्षण के पश्चात यह पाया कि यह दलित सरपंच सवर्णों के किसी न किसी प्रकार के उत्पिड़न से पिड़ीत है। जातिभेद के कारण सवर्णों ने मदुराई जिले की 3 पंचायतों में (पप्पापट्टी, कीरीपट्टी,नत्तरमंगलम) तथा विरूधुनगर जिले के कोट्टाकचीमंडल पंचायत में 10 साल तक चुनाव नहीं होने दिये। यह चुनाव 1996 में होने थे जो 2006 में किये जा सके। 2006 में चुनाव तो किये जा सके परन्तु सवर्णों ने इन पंचायतों काम ठीक से नहीं चलने दिया । अधिकतर पंचायतों में सवर्णों के खेत पर काम करने वाले मजदूर दलितों को चुनाव में खड़ा किया जाता है। ताकि वह अपनी रोजी-रोटी की मजबुरी के कारण उनकी बात मान सके। यदि कोई शिक्षित और स्वाभिमानी दलित युवक सरपंच का चुनाव लड़ता है तो उसके विरूद्ध दुसरे गुलाम दलित को खड़ा किया जाता है और उस युवक को हराया जाता है।

'एवीडन्स' नामक संस्थाने तामिलनाडु के 10 जिलों के 171 पंचायतों का सर्वेक्षण किया था। उनके अनुसार 52 प्रतिशत दलित सरपंच मजदुर है, उनमें से 48.5 प्रतिशत बेरोजगार है और 40 प्रतिशत की मासिक आमदनी 2000 रूपये से कम है। 65 प्रतिशत सरपंचो ने इस संस्था के समक्ष कबुल किया कि उन्हे सवर्णों ने चुनाव में खड़ा किया था। 171 दलित सरपंचों में से 45 ने बताया कि उन्हें पंचायत की चालु योजनाओं की जानकारी नहीं, 7 ने बताया कि उन्हें सरपंच की कुर्सीपर बैठने नहीं दिया जाता, 6 ने बताया कि उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराने नहीं दिया जाता।

दलित सरपंचों द्वारा सवर्णों की बात नहीं मानने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। कुछ सरपंचों की तो हत्या भी की गई। नक्कालामुथनपट्टी के पुर्व सरपंच जकैयां की 22 नवम्बर 2006 को हत्या की गई थी।वर्तमान सरपंच एस. पालराज को जान से मारने की धमकी दी गई। वह अपनी जान बचाने के लिए 10 दिनों तक गांव छोड़कर कही छुपे रहे। कलेक्टर और एस.पी. के आश्वासन के बाद वह अपने गांव लौट आये। 1997 में मेलावलाऊ के युवा सरपंच मुरूगेसन तथा उसके पांच साथीयों की हत्या की गई थी। 2000 में उरक्कपकम की महिला सरपंच मेनका की पंचायत कार्यालय परिसर में ही हत्या की गई थी। मनिवक्कम के सरपंच आर. पुरूषोत्तम की 2012 में चेन्नई के पास हत्या की गई थी। नियमों के अनुसार दलितों को सरपंच तो बनाया जाता है परन्तु उनका दुरूपयोग सवर्ण करते है और उनकी बात नहीं मानने पर दलित सरपंचो को जान तक गंवानी पड़ती है। इस प्रकार दलित सरपंच बनकर जनता के लिए काम नहीं कर सकते, अपमानित होते है और जान तक गवां देते है। पंचायती राज के नियमों का तबतक कोई औचित्य नहीं जबतक दलित सरपंचो को सुरक्षा नहीं दी जाती और दोषीयों पर कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती ताकी वह निर्भिक होकर जनहीत में काम कर सके।

तामिलनाडु में 85 प्रकार की अस्पृश्यता है। केवल सरपंच ही नहीं तो तामिलनाडू के आम नागरिक रोज किसी न किसी प्रकार की अस्पृश्यता से पिडीत होता है। परन्तु ब्राह्मणवादी व्यवस्था समर्थक तामिलनाडु सरकार अपराधीयों पर कड़ी कार्यवाही करने की बजाय उन्हें ही संरक्षण दे रही है। इसलिए तो उस राज्य में दलित उत्पीड़न आम हो गया है। यह स्थिती भारत के सभी राज्यों में है - कहीं कम है तो कही अधिक है। 'समता' शब्द भारत के संविधान के पन्नो पर रह गया है। संविधान लागु हुये 60 वर्ष से अधिक समय बित चुका है परन्तु उस पर आजतक अमल नहीं होने दिया गया। चंद ब्राह्मणवादीयों द्वारा इस देश के बहुसंख्यक शुद्रों को (ओबीसी को) मानसिक रूप से गुलाम बनाया हुआ है। उनके माध्यम से शुद्रों की गुलामी कायम रखने के हर प्रयास किये जा रहे है। ताकि वह उनके समर्थक बने रहे। इन्ही गुलामों के माध्यम से दलितों पर अन्याय अत्याचार कराये जाते है। शुद्रों को उनकी गुलामी का अहसास कराये बगैर उनके माध्यम से होने वाले अन्याय-अत्याचार समाप्त नहीं हो सकते। दलितों में भी आपसी प्रेम का अभाव है। यदि यह आपसी प्रेम स्थापित होता है तो देश के किसी भी कोने में अन्याय-अत्याचार होता है तो उसके विरोध में सभी संगठीत होकर पिड़ितो को मदत करेंगे और न्याय दिलवायेंगे। आपसी प्रेम बुद्ध धम्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करने से ही स्थापित हो सकता है। यदि बौद्ध आचरणशील होते है तो वह अन्य लोगों के लिए आदर्श साबित होगे और अन्य लोग भी

उसे अपनायेंगे। इसप्रकार जब सभी में आपसी प्रेम होगा तो कोई अन्याय-अत्याचार नहीं होगा।

✦ ग्रामिण क्षेत्र में स्वास्थ सेवा पहुंचाने की योजना का संसदीय समिती द्वारा विरोध

मार्च माह मे सरकार द्वारा ग्रामिण क्षेत्र में स्वास्थ सेवा देने के लिए मेडीकल काऊंसिल आफ इंडीया की मदत से बी.एस.सी (कम्युनिटी हेल्थ) कोर्स की योजना बनाई थी ताकि इन स्नातकों को प्रायमरी उपस्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ किया जा सके। भारत के ग्रामिण क्षेत्र में स्वास्थ सेवा की आवश्यकता को देखते हुये दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सरकार को उपाय योजना बनाने की सलाह दी थी। सरकार की योजना का स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा स्वागत किया गया था। परन्तु भारतीय मेडीकल असोसियशन द्वारा विरोध किया गया था। अब संसदीय समिति द्वारा भी सरकार की योजना का विरोध किया गया है। उनका कहना है कि यह कोर्स करने के बाद तयार होने वाले स्नातकों को चिकित्सा की पुरी जानकारी नहीं होगी। उन्होंने प्रस्ताव दिया किया कि ग्रामिण क्षेत्र में मेडीकल कॉलेज खोले जाये। क्या इन मेडीकल कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त डॉक्टर ग्रामिण क्षेत्र में सेवा में सेवा देने के लिए तैयार होंगे? इस बात पर समिती ने गंभीरता से नहीं सोचा ऐसा प्रतित होता है।

इंडियन मेडिकल असोसिएशन के सदस्यों का यह मानना है कि ग्रामिण क्षेत्र में काम करने की और रहने की सुविधायें समाधान कारक नहीं है इसलिए चिकित्सक वहां सेवायें देने के लिए इच्छुक नहीं है।वास्तव में इन चिकित्सकों में जनता की सेवा करने की भावना ही नहीं है। आसाम और छत्तीसगढ़ में ग्रामिण चिकित्सा सहायक (Rural Medical Assistants) के द्वारा ग्रामिणों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जिसकी सभी ने सराहना की। विदेशों में भी सिनीयर नर्सेसे को ट्रेनिंग देकर वहां के नागरिकों को अच्छी स्वास्थ सेवा प्रदान की जाती है। इसलिए संसदीय समिति द्वारा सरकार की ग्रामिण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा देने की योजना विरोध करना करोड़ों ग्रामिणों के विरोध में है।

भारत के ग्रामिण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की कितनी अधिक आवश्यकता है, इसे 2011 के ग्रामिण क्षेत्र के स्वास्थ्य संबंधी आकडेवारी से समझा जा सकता है। ग्रामिण क्षेत्र में 76 प्रतिशत चिकित्सक, 53 प्रतिशत नर्स, 88 प्रतिशत स्पेशालिस्ट डॉक्टरर्स, 85 प्रतिशत रेडियोग्राफर और 80 प्रतिशत लेबारटरी टेक्नीशीयन की कमी है। इसके अलावा जो चिकित्सक ग्रामिण क्षेत्र में पदस्थ किये गये उनमें से केवल 50 प्रतिशत ही सेवायें दे रहे है। जो सेवाये दे रहे है उनमें भी अधिकतर अनिच्छा से काम कर रहे है। संसदीय समिति के विरोध के बाद अब देखना यह है कि सरकार ग्रामिणों के लिए बनाई गई योजना पर अडिंग रहती है या नही।

✦ भारत के बाजार में बिना परिक्षण की गई, असुरक्षित और कालातील दवाईयां

10 मई 2012 को पार्लियामेंट्री स्टँडींग कमिटी ऑन हेल्थ एण्ड फॅमिली वेलफेयर ने अपनी 59 वी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार बिना परिक्षण की हुई असुरक्षित और कालातीत दवाईयां भारत के बाजार में विपुल मात्रा में है जिससे सर्वसाधारण लोग असुरक्षीत है। इस समिती ने सेन्ट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल आर्गेनायजेशन (CDSCO) तथा ड्रग कंट्रोलर के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया । साथ ही चिकित्सकों की दवा निर्माताओं से अवैध लेनदेन पर चिंता व्यक्त की। समिति ने यह कहा कि CDSCO दवा निर्माताओं के हित में काम करती है न कि भारत के लोगों के लिए। समिति ने यह पाया कि दवाईयां बगैर परिक्षण और बगैर तंज्ञों की सलाह के स्विकृत की जाती है। दवा निर्माताओं के इशारे पर तज्ञ सलाह देते है, लायसेंस निरस्त करने में देरी, फाईल का गुम होना तथा अन्य अनियमिततायें पायी। इस प्रकार भ्रष्ट अधिकारीयों के कारण दवा निर्माता कम्पनीयां मोटा मुनाफा कमा रही है और लोगों के स्वास्थ्य को हानी पहुंच रही है।

पार्लीयमेंट्री कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के तुरंत बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई। एक वर्ष बित गया परन्तु इस एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट की किसी को कोई जानकारी नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार भ्रष्टाचार की और दवा निर्माता पुंजी पंतीयों की समर्थक है और आम आदमी के स्वास्थ्य की उसे बिलकुल चिन्ता नहीं है।

✦ भारत की गलत अनाज निति

भारत में एकतरफ 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार है और दुसरी तरफ गोदामों में अनाज सड़ रहा है। 1 मार्च 2013 को सरकार के पास अनाज का स्टाक 628 लाख टन था और भारतीय खाद्य निगम 440 लाख टन अनाज और

खरिद सकती है। इस प्रकार लगभग 1000 लाख टन का स्टाक हो सकता है। जब यह स्टाक अधिक होता है तो सरकार उसका निर्यात करती है परन्तु उसे वितरीत नहीं करती। एकतरफ अनाज गोदामों में सड़ता है और निर्यात किया जाता है तथा दुसरी तरफ बाजार में अनाज की कमी दिखाई जाती है जिससे भाव बढ़ते है। इसप्रकार महंगाई बढ़ाने के लिए भी सरकार की नितियां ही जिम्मेदार है। अनाज के निर्यात से भारत को नुकसान ही होता है। सरकार द्वारा 19,100 रूपये प्रति मेट्रीक टन के भाव से गेंहू खरिदा गया और निर्यात का भाव 16,200 रूपये प्रति मेट्रीक टन तय किया गया। सरकार को निर्यात से 2,900 रूपये प्रतिटन नुकसान होता है। सरकार को पिछले वर्ष 1,700 करोड रूपये नुकसान का अनुमान है। पिछले दिनों निर्यात भाव 300 डालर से 270 डालर कम हो गया। इसके बावजुद गोदामों से अनाज कम होना चाहिये इसलिए सरकार उसे निर्यात करने की योजना बना रही है। इसलिए अनाज निती के तज्ञ बिरज पटनाईक कहते है, 'आप अनाज गरिबों को देने के बजाय विदेशों के जानवरों और सुवरों के लिए कम भाव में बेचते है।' गरिबों को अनाज नहीं मिलता परन्तु उसका निर्यात हो रहा है। यह कितनी अजीब बात है। अनाज का उत्पादन तो बढ़ रहा है परन्तु वास्तव में प्रतिव्यक्ति के लिए अनाज की उपलब्धता घट रही है। 2011 में प्रतिव्यक्ति के लिए साल भर के लिए 170 किलो से भी कम अनाज उपलब्ध था। यह भी बड़ा चिन्ता का विषय है।

✦ **मानव विकास सुचकांक**

वर्ष 2012में संसार के विभिन्न देशों में जो मानव विकास हुआ है उससे संबंधीत सुचकांक निम्नानुसार है।

(लम्बा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान और अच्छा जीवन स्तर इन तिन बातों पर आधारित)

बहुत अधिक मानव विकास (0.905)

1. नार्वे	0.955
2. आस्ट्रेलिया	0.938
3. अमेरिका	0.937
4. नेदरलँड	0.921
4. जर्मनी	0.920
5. स्विझरलँड	0.913
6. जापान	0.912
7. कनाडा	0.911
8. कोरीया	0.909
9. हांगकाँग	0.906
18. सिंगापुर	0.895
20. फ्रान्स	0.893
23. स्पेन	0.885
25. इटली	0.881
26. इंग्लैंड	0.875
37. हंगरी	0.831
विश्व	0.694

अधिक मानव विकास (0.758)

54. कुवैत	0.790
55. रशिया	0.788
57. सउदी अरब	0.782
61. मेक्सीको	0.775
64. मलेशिया	0.769
69. कजाकीस्तान	0.754
76. इरान	0.742
77. पेरू	0.741
78. उक्रेन	0.740
80. मारिशीयस	0.737
85. जमाईका	0.730
85. ब्राजील	0.730
90. तुर्की	0.722
91. कोलंबिया	0.719
92. श्रीलंका	0.715

साधारण मानव विकास (0.640)

100. जार्डन	0.700
101. चित	0.699
103. थायलँड	0.690

104. मालदीव	0.688
112. इजिप्त	0.662
114. फिलीपीन	0.654
121. इंडोनेशिया	0.628
121. द. आफ्रिका	0.629
127. वियतिनाम	0.617
130. मोरक्को	0.591
135. घाना	0.591
136. भारत	0.554
138. कोलंबिया	0.543
140. भूटान	0.538
141. खजीलँड	0.536

कम मानव विकास (0.466)

145. केन्या	0.519
146. बंग्लादेश	0.515
146. पाकिस्तान	0.515
149. म्यामार	0.498
152. तंजानिया	0.476
157. नेपाल	0.463
161.युगांडा	0.456
171. सुडान	0.414
172.झिब्बाम्बे	0.397
175. अफगानिस्तान	0.374
182. माली	0.344
विश्व	0.694

(स्रोत. ह्युमन डेवलपमेंट रिपोर्ट-2013)

भारत 136 वे स्थान पर है। भारत में मानव विकास बढ़ नहीं पाया इसका मुख्य कारण यहां की ब्राम्हणवादी व्यवस्था है जहां मानव-मानव में भेद किया जात है।

✦ हरियाणा में दलितों पर अत्याचार निरंतर बढ़ रहे है

26 फरवरी 2013 को हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुडा ने विधानसभा में बयान दिया था कि, 2005 से 2013 के बिच दलितों पर अत्याचारो में 50 प्रतिशत के लगभग बढ़ोत्तरी हुई है। सन 2005 में दलितों पर अत्याचार की संख्या 162 थी जो 2013 में जनवरी माह तक 238 हुई थी। यह संख्या तो उन अत्याचारों की है जो दर्ज किये गये है। इससे कई गुणा अत्याचार हरियाणा में दलितों पर होते है. परन्तु पुलिस थाने में तैनात जाट पुलिस कर्मी उन्हें दर्ज नही करते। इस राज्य में जाट समुदाय के लोग ही दलितों पर अत्याचार करते है।

हरियाणा में दलितों को गाली गलौज करना, उनके साथ मारपीट करना, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, कुओं पर पानी भरने का विरोध, शादी में दुल्हे को घोड़े पर बैठने का विरोध, त्योंहारो की परंपरागत तरिके से मनाने का विरोध इत्यादी आम बात हो गई है। 30 मार्च 2013 को हरियाणा के मदिना ग्राम के विक्रम और सुधिर की जाट युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले वर्ष विक्रम ने एक दलित युवक को शादी के अवसर पर घोड़े पर चढ़ने की सवर्णों (जाट) द्वारा की गई मनाही का विरोध किया था तथा सवर्णो द्वारा दलित महिलाओं को अभद्र गाली देने वाले सवर्णों का विरोध किया था। इस घटना के बाद 13 अप्रैल को कथल जिले के पबनावा ग्राम में दलितो के 83 घर सवर्णों ने जला दिये क्योंकि एक दलित युवक ने शेर नामक सवर्णजाती की युवती से शादी की। 15 अप्रैल को भिवानी जिले में एक युवक को पेड़ से बांधकर उसपर वाहन चलाया गया क्योंकि उसने एक दलित दुल्हे के लिए हाथी पर चढ़ने की मांग की थी। इस प्रकार जातिद्वेष के कारण हरियाणा में आये दिन दलितों पर अत्याचार होते रहते है।

✦ भारत का मजदुर सर्वाधिक असुरक्षित

विकास में सर्वाधिक श्रम देने वाला श्रमिक सर्वाधिक असुरक्षित है। सिमेंट कारखाने, खदाने, रोड बनाने और सभी प्रकार के निर्माण कार्य में कार्य करने वाले मजदुरों को धुल में काम करना पड़ता है। यह धुल मजदुरों की आतड़ीयों को नुकसान पहुचाती है। इस प्रकार आतड़ीयों की खराबी वाली बिमारी को 'सिलीको सीस' कहते है। इस बिमारी का कोई इलाज नहीं है क्योंकि खराब आतड़ीयां ठीक नहीं की जा सकती। भारत में इस बिमारी से भारत में प्रतिवर्ष लगभग 30,000 मजदुरों की मृत्यू होती है।

हमारे देश में पर्यावरण और मजदुर कानुन बना हुआ है परन्तु इन कानुनों का मजदुरों के लिए कोई फायदा नहीं है। पुंजीपतीयों द्वारा इन कानुनों को अपनी जेब में रखा है। हमारे

देश में कानुन नहीं पूंजीपतीयों का पैसा हावी है। अंतर्राष्ट्रीय मजदुर संगठन तथा विश्व स्वास्थ संगठन द्वारा सिलीकोसीस को 2030 तक पुरी तर समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। संसार के दुसरे देशों में यह लक्ष्य पुरा हो सकता है। परन्तु भारत में नहीं हो सकता क्योंकि इस देश में मजदुरो की किसीको कोई परवाह नहीं है, परवाह है तो केवल पूंजीपतीयों की । इसलिए तो हर कोई विकास की बात करता है परन्तु उस विकास के सबसे बड़े भागीदार मजदुरों की कोई बात नहीं करता। इस देश की मिडिया भी पूंजीपतीयों का खिलौना है। इसलिए पूंजीपतियों के लाभ के लिए देश के विकास का प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है। चंद पुंजी-पत्तीयों का लाभ देश का हीत नहीं हो सकता। आम आदमी का लाभ ही उसे देश का विकास हो सकता है। सन् 2009 में सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिशा- निर्देश दिये थे परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे देश में पूंजीपत्तीयों के हित के लिए कानुन और दिशा- निर्देशों की अनदेखी की जाती है। आम जनता की जान से उन्हें कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए तो अकेले झारखंड राज्य में लगभग 30 लाख मजदुर सिलिकोसीस के शिकार हुये है।

✦ **तामिलनाडु में पी.एम. के. द्वारा दलित बस्ती पर हमला**

पत्ताली मक्कल काची (पी.एम.के.) तामिलनाडु का जातिवादी संगठन है। यह वन्नीयार नामक सवर्ण जाती के लोगों का संगठन है। इस संगठन को डॉ. एस. रामदास ने बनाया था। इस संगठन के वर्तमान अध्यक्ष जी.के. मनी है। पिछले दिनों दि. 27 नवंबर 2012 को इसी संगठन के लोंगो द्वारा धर्मपुरी जिले की 3 दलित कालोनियों में रहने वाले दलितों के 238 घर जला दिये थे। यह जातीवादी संगठन है और इस संगठन के लोगों द्वारा दलितों पर आये दिन अत्याचार किये जाते है।

25 अप्रैल को पी.एम. के. के लोगों द्वारा कट्टयन थीरू नामक दलित बस्ती पर हमला बोला। उन्होंने पहले घरों का सामान लुटा और बाद में उन घरों पर पेट्रोल बॉम्ब फेककर उन्हें जला दिया।

इस हमले में दलितों के घर, जानवरों का शेड, और एक मंदिर जला दिया गया।

✦ **दलित दुल्हे को घोडे पर बैठने की सवर्णो द्वारा मनाई**

राजस्थान में बुंदी जिले के बरवास गांव के दलित समुदाय (मेघवाल) के लड़के की टोंक जिले के देवली गांव की लड़की से शादी तय हुई थी। शादी की बारात निकलते समय दुल्हा जब घोडे पर बैठने लगा तो गांव के गुज्जर समुदाय के सवर्णो ने उसे घोडे पर बैठने से मना किया। उनके अनुसार केवल सवर्णों का दुल्हा ही घोडे पर बैठ सकता है। इस स्थिति में दुल्हे के पिता ने पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज करायी। उसके बाद पुलिस संरक्षण में दुल्हा घोडे पर बैठा और बारात निकाली गई।

✦ **दलितों पर हमला और बहिष्कार**

महाराष्ट्र में पंढरपुर के नजदिक अंजनसोड गांव में एक चौक के नामकरण को लेकर सवर्णों ने दलितों की बस्ती पर हमला कर 15 दलितों को घायल किया। इस हमले में महिला और वृद्धों के साथ भी मारपिट की गई। इस प्रकरण में 10 सवर्णों को पुलिस द्वारा गिरप्तार किया गया।

सवर्णोंपर पुलिस कार्यवाही के बाद सवर्णोंने दलितों को सार्वजनिक हॅण्डपंप से पानी भरने की मनाही की। उन्होंने दलितों को अपने खेतों पर काम देने से मना किया गया तथा दलितों के जानवरों को भी अपने खेतों में नहीं जाने दिया जा रहा है। इस बहिष्कार से दलित त्रस्त है परन्तु प्रशासन सोया हुआ है।

✦ **बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती के अवसर पर रैली पर हमला**

महाराष्ट्र में वाशीम जिले के अड़ोली गांव में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के जयंती के अवसर पर रैली निकाली गई थी। इस गांव में जातिवादीयों के आतंक को ध्यान में रखकर बाबासाहेब के अनुसायीयों द्वारा रैली के दौरान पुलिस बल की मांग की गई थी। परन्तु केवल दो पुलिस कर्मि रैली के साथ थे। जब रैली भ्रमण कर रही थी और शिवाजी के पुतले के पास आयी तब जातिवादी सवर्णों ने रैली पर पत्थर से हमला बोल दिया। पुलिस सहीत 19 लोग घायल हुये जिनमें 3 गंभीर रूपसे घायल हुये थे। घटना स्थल पर पुलिस अधिक्षक पहुंचने के बाद स्थिति पर काबु पाया गया।

आश्चर्य की बात यह हुई कि दोषी सवर्णों पर कार्यवाही करने की बजाय 89 बौद्धों के पर जुर्म दाखिल किया गया। इससे स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की पुलिस भी जातिवादी है।

✦ **महाराष्ट्र के सुखाग्रस्त इलाके में दलितों को पानी नहीं दिया जाता।**

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में भयंकर सुखा है और वहां के लोग पानी के लिए तरस रहे है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के गौदी वैतागवाड़ी गांव के दलितों पर दोहरी मार पड़ रही है। सुखें की मार के साथ जातिवाद की भी मार उन पर पड़ रही है। इसलिए उनका जीना दुभर हो गया है। गांव के सार्वजनिक कुअें पर उन्हें पानी भरने नहीं दिया जाता और टँकर द्वारा लाया गया पानी भी उन्हें लेने नहीं दिया जाता। जब वह पानी के लिए जाते है तो उनके बर्तन फेंक दिये जाते है। जातिभेद कितना खतरनाक है यह इसका उदाहरण है।

✦ **गुजरात के सवर्णों द्वारा सौराष्ट्र के दलितों को नर्मदा का पानी नहीं दिया जाता।**

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पानी की बड़ी किल्लत है। इस क्षेत्र में नर्मदा नदी का पानी लोगों को दिया जाता है। परन्तु उसमें भी जातिभेद हो रहा है। सवर्णों के पास बोरवेल होने के बावजुद उन्हें नर्मदा का पानी दिया जाता है परन्तु साधनहीन दलितों को नर्मदा का पानी नहीं दिया जाता । इस क्षेत्र में हजारों दलित परिवार रहते है परन्तु उन्हें जातिद्वेष के कारण पानी न देकर प्रताड़ीत किया जाता है।

विकास का ढींडोरा पिटने वाले मोदी के गुजरात में आम आदमी पानी के लिए तरस रहा है। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र हजारों गांवों में पानी की किल्लत है। गुजरात की राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल ने 26 मार्च 2013 को बताया था कि 3,918 गांवों में पानी की कमी है। अबतक तो इन गांवों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई होगी। वहां के बहुत से तालाब सुख गये है। इसलिए जैसा कि सभी जानते है, गुजरात में विकास पुंजीपतियों का हुआ है, आम आदमी का नहीं गुजरात का विकास केवल मिड़िया में है वास्तव में नहीं।

✦ **अनुसूचित जाति-जनजाति की उपयोजना की आधे से कम निधी उपयोजनाओं पर खर्च**

योजना आयोग के सदस्य नरेन्द्र जाधव ने उस्मानिया विश्वविद्यालय में आयोजित डॉ. आंबेडकर व्याख्यानमाला में संबोधित करते हुये यह स्विकार किया कि केन्द्रिय बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उपायोजनाओं के लिए आबंटीत राशी में से आधी राशी भी इन समुदायों की उपयोजनाओं पर खर्च नहीं की जाती। आधे से अधिक राशी अन्य कार्यो पर खर्च की जाती है परन्तु ऐसे राज्य सरकारों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती । इससे स्पष्ट है कि न तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकारें इन समुदायों के लोगों की प्रगती चाहती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन समुदायों के सामाजिक कार्यकर्ता और राजनितिक कार्यकर्ता इन सरकारों विरूद्ध विद्रोह करने की बजाय उनके समर्थक बने हुये है। यह कार्यकर्ता बात समाज हीत की करते है परन्तु साथ समाज का अहीत करने वालों को ही देते है। उन्हें समाजहीत की चिन्ता नहीं, केवल स्वयं के हित की चिंता है। इस प्रकार सरकार तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुर्ख बना रही है, उनका स्वयं का कार्यकर्ता भी उन्हें मुर्ख बना रहा है। इन समुदायों के भोले-भाले लोगों की कमजोरी यह धुर्त लोग जानते है। इसलिए वह बाबासाहेब का नाम अवश्य लेते है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए उपयोजना का प्रावधान तो किया है परन्तु उसका लाभ इन समुदाय के लोगों को नहीं मिलता। इन समुदायों के लोगों के हितचिंतक है यह दिखाने के लिए नियम, कानुन योजना इत्यादि बनाना परन्तु उनपर अमल नहीं करना ताकि इन समुदायों के लोगों की प्रगति न हो यही शासन तथा प्रशासन की निति है। यह निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर सिद्ध होता है।

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में उपयोजना पर खर्च के लिए राशी आबंटीत करने का प्रावधान है। परन्तु आजतक प्रस्तुत किये गये किसी भी केन्द्रीय बजट में उस अनुपात में राशी आबंटीत नहीं की गई। प्रावधान के अनुसार राशी के लगभग आधी राशी ही आबंटीत की जाती है।

2. केन्द्र सरकार के 68 विभागों में से बहुत कम विभाग इन समुदायों की उपयोजनाओं पर खर्च का प्रावधान करते है।

3. इन उपयोजनाओं के लिए जो राशी आबंटीत की जाति है उसमें से आधे से अधिक राशी राज्य सरकारों द्वारा अन्य खर्चो के लिए परिवर्तीत की जाती है।

4. बची हुई राशी मे से कुछ राशी इन समुदायों की योजनाओं पर खर्च करना बताया जाता है परन्तु उसका लाभ इन समुदायों के लोगों के नामपर अन्य लोगों को दिया जाता है। इन समुदायों के नगण्य लोग है जिनको इन योजनाओं का

लाभ मिला है।

5. इन समुदायों के लोगों को उनके लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी ही नहीं दी जाती। जब जानकारी ही नहीं होती है तो लाभ लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

6. कभी किसी को कहीं से जानकारी मिली और उसने लाभ लेने का प्रयास किया तो उसे अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है।

7. अंत में इन समुदायों के लोगों की योजनाओं पर कुछ खर्च बताकर बची राशी वापिस की जाती है।

✦ जातिवाद के कारण भारत पिछड़ा हुआ है।

प्रेस काउंसील आफ इंडिया के अध्यक्ष न्या. मार्कण्डेय काटजू ने मुंबई विश्वविद्यालय में संबोधित करते हुये कहा कि, जातिवाद के कारण भारत अति पिछड़ा देश होगा और संसार के अन्य देशों के साथ हो रही सत्तास्पर्धा से अलग हो जायेगा। भारत की राजनिति में जाति की राजनिति होती है। केवल गरीब ही नहीं सघन व्यक्ति और केवल अनपढ़ नहीं सुशिक्षित व्यक्ति भी जात के आधार पर मतदान करता है। यही नहीं इस देश में महत्वपूर्ण पद भी जाति की लॉबींग के आधार पर भरे जाते है। देश का मध्यम वर्ग बाबा, ज्योतिष्य, चमत्कार के चक्कर में पड़ा है। उसमें अंधविश्वास पनप रहा है जो देश के भविष्य के लिए धोखादायक है। आजके युवाओं को केवल उच्च शिक्षा देना पर्याप्त नहीं उनमें विज्ञानवादी दृष्टिकोन निर्माण करने की आवश्यकता है, यह न्या. काटजू ने कहा।

न्या. मार्कण्डेय काटजू ने हेडलाइन्स टुडे टी.वी. चैनल पर साक्षात्कार में यह भी कहा है कि, 90 प्रतिशत भारतीय भेड-बकरी के समान मतदान करते है। वह जानवरों के समुह के समान जाति और धर्म के आधार पर मतदान करते है।

✦ बौद्धों की बस्तीपर सवर्णों द्वारा बहिष्कार

कोल्हापुर जिले के कलंब तर्फकल ग्राम में लगभग 300 बौद्धों की बस्ती है। इस बस्ती के राजेन्द्र कांबले, सतीष कांबले, नागेश कांबले तथा विकास कांबले इन चार बौद्ध युवकोंने 19 सितंबर 2012 को स्थानिय शिव मंदीर में प्रवेश किया था। इस घटना से नाराज होकर उस गांव के सरपंच मधुकर गुरव और उसके साथीयों ने गांव के सभी बौद्धों का बहिष्कार करना चाहिये ऐसा फरमान निकाला। तब से अबतक लगभग 8 महिनें से बौद्धों का रोजगार बंद हो गया तथा उन्हें दुकान से सामान देना बंद कर दिया गया। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सरपंच और उसके 16 साथीयों को गिरप्तार करने के बाद उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया। परन्तु बौद्धों पर बहिष्कार जारी रहा। बौद्धोंने 25 मार्च को उपोषण किया। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात द्वारा उस संबंध में कार्यवाही हेतु कलेक्टर को चिठ्ठी लिखी गई। परन्तु अबतक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अंततः बौद्धोंने फिर से 27 मई से मुंबई के आजाद मैदान पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया।

✦ भारत में केवल 5.33 प्रतिशत महिला पुलिस

केन्द्रिय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुचना के अनुसार भारत में 15,85,117 पुलिस कर्मचारी है। इनमें केवल 84,479 (5.33 प्रतिशत) महिला पुलिस कर्मचारी है। इसी प्रकार देश में कुल 15 हजार पुलिस थाने है उनमें केवल 499 महिला पुलिस थाने है। महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के मद्देनजर महिला पुलिसकर्मी तथा महिला पुलिस थानों की संख्या बढ़ाना अति आवश्यक है।

✦ सुखाग्रस्त महाराष्ट्र में विधायक निधि से जलसंसाधन पर खर्च कम परन्तु सभागृह पर अधिक

लोगों की समस्याओं के प्रति कितने असंवेदनशील और स्वयं की प्रसिद्धी के प्रति कितने संवेदनशील महाराष्ट्र के विधायक है यह सरकारी आंकड़ों से ही सिद्ध होता है। विधायक निधी से जलसंसाधन पर खर्च होने से लोगों को पानी की समस्या से कुछ राहत मिलती । परन्तु इस कार्य पर विधायक निधि से बहुत कम खर्च किया गया। मंदीर के सामने सभागृह (सभामंडप) बनाकर उसपर विधायक का नाम लिखने से विधायक को प्रसिद्धी मिलती है इसलिए ऐसे कामों पर विधायक निधी से बहुत अधिक खर्च किया गया है। महाराष्ट्र के विधायक निधी से खर्चो के आकड़ें निम्नानुसार है।

जल संसाधन	1.88 प्रतिशत
बोरवेल	2.18 प्रतिशत
रास्ते	48.58 प्रतिशत
सफाई	4.67 प्रतिशत
प्रकाश व्यवस्था	1.89 प्रतिशत
कम्प्युटर	0.71 प्रतिशत
खेल	3.42 प्रतिशत
स्वास्थ्य	0.54 प्रतिशत

उद्यान	1.49 प्रतिशत
जलसुविधा	1.61 प्रतिशत
शिक्षा	0.61 प्रतिशत
बस स्टँड	0.95 प्रतिशत
सभागृह (सभा मंडप)	25.22 प्रतिशत
अन्य	6.27 प्रतिशत

✦ मनरेगा में घोटाला-सी.ए.जी. रिपोर्ट

भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के रहते नैतिकता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। यहां गरीबों को मदद करने की बजाय उसकी रोटी छिनी जाती है। गरीबों को आर्थिक मदद के लिए सरकार द्वारा मनरेगा योजना लाई गई। इस योजना के अनुसार वित्तिय वर्ष में हर मजदुर को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है तथा हर राज्य के लिए तय मजदुरी उन मजदुरों को देने का प्रावधान किया गया है।

कन्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल (सी.ए.जी.) ने मनरेगा योजना के क्रियान्वयन की 28 राज्य और 4 केन्द्र शासित प्रदशों की 3848 ग्राम पंचायतों की जांच की। सी.ए.जी. द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट में निम्नलिखित अनियमितता पायी गई।

1. इस योजना के अंतर्गत किये गये 2,252.43 करोड़ रूपये के कार्य की अनुमति नहीं थी।

2. 7.69 लाख कार्य, जिनकी लागत 4070.76 करोड़ रूपये, वह अधुरे है।

3. 6547.35 करोड़ रूपये लागत के कार्य का अस्तित्व नजर नहीं आता।

4. बिहार, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश में देश के 46 प्रतिशत ग्रामीण गरीब है परन्तु उनके लिए केवल 20 प्रतिशत राशी जारी की गई।

5. देश के 8 राज्यों में 128.23 रू. खर्चे के वाउचर नहीं है।

6. 10 राज्यों में मस्टर रोल गलत भरे गये। 3.84 रूपये की मजदुरी का भुगतान जाली मस्टर रोल से अलग-अलग मस्टर रोल में बताया है।

7. सन 2009-10 में 54 दिन का रोजगार दिया गया था, वह 2011-12 में 43 दिन का दिया गया।

9. मौके पर पहुंचकर कार्य की प्रगती की जांच नहीं की गई।

10. सभी ग्राम पंचायतों में 18 से 54 प्रतिशत रिकार्ड या तो रखा नहीं है या गलत रखा है।

11. रिकार्ड किये गये आंकड़ों में और कम्प्युटर पर डाले गये आंकड़ों में फर्क है।

12. 6 राज्यों में 12,455 परिवारों को जॉब कार्ड नहीं दिये गये।

13. 4,33,000 जॉब कार्ड पर फोटो नहीं लगाये गये

14. 18,325 प्रकरणों में एक व्यक्ति को एक से अधिक जॉब कार्ड दिये गये।

15. 12,008 प्रकरणों में जॉब कार्ड 51 महीनों तक की देरी से दिये गये।

16. अधिक समय तक रोजगार नहीं देने के बावजुद 47,687 प्रकरणों में गैररोजगार भत्ता नहीं दिया गया।

17. 14 राज्यों में 36.97 करोड़ रूपये की मजदुरी का भुगतान नहीं किया गया।

18. देरी से मजदुरी का भुगतान करने के बावजुद कोई हर्जाना नहीं दिया गया।

✦ सत्य जानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है - ईश्वर विश्वास घट रहा है

संसार में ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है यह सत्य होने के बावजुद बहुत से लोग परंपरा और अंधविश्वास के कारण ईश्वर पर विश्वास करते है। इस अंधविश्वास के कारण मानवता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। परन्तु खुशी की बात है कि अब लोगोंने सत्य को जानना शुरू कर दिया है।

विश्व धार्मिकता और नास्तिक निर्देशांक के सर्वेक्षण से यह पता चला है कि विश्व में ईश्वर पर विश्वास करने वालों की संख्या व प्रतिशत घट गई है। 2005 में हुये सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 87 प्रतिशत लोग ईश्वर को मानते थे। अब 2013 में हुये सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 81 प्रतिशत लोग ईश्वर को मानते है। अर्थात इस अवधी में 6 प्रतिशत लोग सत्य जान चुके है।

संसार में ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वालों की संख्या 13 प्रतिशत है। चीन में सर्वाधिक लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार चीन में 50 प्रतिशत लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। इसी प्रकार बौद्ध राष्ट्रों में भी ऐसे लोगों की संख्या अधिक है।

✦ राजनितिक पार्टीयों को सुचना का अधिकार अधिनियम लागू है।

सुचना का अधिकार के कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल और डेमोक्राटीक रिफार्म के अनिल बैरवाल ने कांग्रेस, भाजपा,

भाकपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, माकपा और बसपा इन राजनितिक पार्टीयों से सुचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इन पार्टीयों को आर्थिक सहायता, दान, दानदाताओं के नाम और पत्ता इस संबंधी जानकारी मांगी थी। सभी पार्टीयों ने हम सुचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते है ऐसी जानकारी दी। उसके बाद इन दो आवदकों ने केन्द्रिय सुचना आयुक्त के समक्ष अपील की। केन्द्रिय मुख्य सुचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा, सुचना आयुक्त एम.एल. शर्मा और अन्नपुर्णा दीक्षित के पूरे पीठ ने यह निर्णय दिया कि, यह राजनितिक दल सुचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकारी (पब्लिक अथारिटी) के लिए आवश्यक शर्ते पूरी करते है। आयोग ने यह कहा कि, इन दलों को आयकर में सुविधा, चुनाव के समय दुरदर्शन और आकाशवाणी पर निशुःल्क समय यह केन्द्र सरकार द्वारा दी जानेवाली आर्थिक सहायता है इसलिए हमें इस बाबत थोड़ा भी संकोच नहीं है कि यह दल सुचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आते है।

आयोग ने यह निर्देश दिये है कि, इन दलों के अध्यक्ष और महासचिवों ने अपने पार्टी कार्यालयों में 6 सप्ताह के भितर सुचना अधिकारी और अपील अधिकारी नियुक्त करने है तथा इस नियुक्ति के बाद 4 सप्ताह के भितर लोगों द्वारा मांगी गई सुचना, सुचना के आवेदनों पर उत्तर देना शुरू कर दे और लोगों द्वारा पुछे गये प्रश्नों के उत्तर अपनी-अपनी वेबसाईट पर ड़ाले।

✦ भारत की शिक्षा विश्व के अन्य देशों के मुकाबले स्तर हीन

सन् 2009 में 75 देशों के विद्यार्थीयों के स्तर का सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के नतिजे भारत के लिए बड़े शर्मनाक है। 75 देशों में भारत का 74 वा क्रमांक था। इसका कारण भारत की शिक्षा प्रणाली है। इस देश में ब्राह्मणवाद पर आधारित शिक्षा प्रणाली है। ब्राह्मणवाद परिवर्तन नहीं चाहता। भारत की शिक्षा प्रणाली में आमुलाग्र परिवर्तन की आवश्यकता है। संसार के अन्य देशों में प्रगती को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाता है। दुसरी बात यह है कि, भारतीय स्कुलों में पढ़ायें गये विषय पर विचार करने का कोई अवसर नहीं है। जो पढ़ा दिया जाता है उसेही याद किया जाता है। इससे बौद्धीक विकास नहीं होता। तिसरी बात यह है कि, काल्पनिक, चमत्कारीक और मिथ्या बातों का पाठ्यक्रमों में समावेश किया गया है जिससे विद्यार्थी सत्य को नहीं जान पाता। इसके अलावा अन्य कमियां हो सकती है जिसे मानव विकास की दृष्टि रखने वाले शिक्षाविद् जानते होगे।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में 270 लाख विद्यार्थी प्राथमिक स्कुलों में प्रवेश लेते है। इनमें से 8 वी कक्षा तक 40 प्रतिशत विद्यार्थी स्कुल छोड़ देते है, 12 वी कक्षा तक 80 प्रतिशत विद्यार्थी स्कुल छोड़ते है और बचे हुये 20 प्रतिशत में केवल 15 प्रतिशत लड़के कॉलेजों में प्रवेश लेते है। इस प्रकार 80 प्रतिशत विद्यार्थी स्कुली शिक्षा छोड़ देते है और 5 प्रतिशत स्कुली शिक्षा के बाद कॉलेज की शिक्षा नहीं लेते। प्राथमिक स्कुल में प्रवेश पाने वाले 270 लाख विद्यार्थीयों में से 216 लाख विद्यार्थी स्कुल छोड़ देते है, 54 लाख विद्यार्थी स्कुली शिक्षा पूरी करते है। उनमें से 13.50 लाख कॉलेजों में प्रवेश नहीं ले पाते। केवल 40.50 लाख विद्यार्थीही कॉलेजों में प्रवेश ले पाते है।

भारत के विद्यालयों में विद्यार्थीयों के लिए आवश्यक सुविधायें नहीं है। साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी है। विनोद रैना नामक शिक्षाविद् के अनुसार जब एक लाख प्रशिक्षित शिक्षकों की अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर परीक्षा ली गई तब केवल 1 प्रतिशत शिक्षक उत्तीर्ण हो पाये। इसका अर्थ है बी.एड्. की शिक्षा ही स्तर हीन है। भारत में 63 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। जब प्रशिक्षित शिक्षकों में से 99 प्रतिशत शिक्षक अयोग्य है तब 63 लाख योग्य शिक्षक मिलना असंभव है। जब यह नहीं हो सकता तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अच्छी शिक्षा भारत में मिल नहीं सकती। इसलिए हमारे देश का विद्यार्थी अन्य देशों के विद्यार्थीयों की तुलना में बहुत कमजोर है जो विकास की दृष्टि से बहुत घातक है। शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस स्थिति को देखते हुये यह स्पष्ट हमारे देश के जनप्रतिनिधियों देश की नहीं स्वयं की और प्रायवेट स्कुल चलाने वाले पुंजीपतियों की चिंता है।

✦ तामिलनाडू में एक और जातिय दिवाल ध्वस्त

जातिद्वेष के कारण दलितों का सवर्ण बस्तीसे जाना बंद करने के लिए जातिय दिवाले बनाई गई। निरंतर संघर्ष के कारण अब यह जातिय दिवाले उध्वस्त की जा रही है। तामिलनाडू के धर्मपुरी के गांधीनगर इलाके में 10 वर्ष पुर्व ऐसी ही दिवाल सवर्णो ने बनाई गई थी। तामिलनाडू अनटचेबलीटी इराजेक्शन फ्रंट ने इस के विरोध में सतत आन्दोलन चलाया गया। यह दिवाल तोड़ी नहीं जानी चाहिये इसलिए सवर्णोंने 6 माह पुर्व उस दिवाल के साथ एक छोटा मंदीर भी बनाया। निरंतर संघर्ष के कारण अंत में प्रशासन ने वह जातिय दिवाल और मंदीर तोड़ दिया।

न्यायपालिका

✦ सर्वोच्च न्यायालय की अजीब सोच

तामिलनाडू के टुटीकोरीन में स्टरलाईट इंडिया द्वारा तांबा गलाई का कारखाना लगाया गया। इस कारखाने से वहां का पानी और हवा प्रदुषित हो गई। यह कारखाना निर्माण हुआ तब से स्थानिय लोगों तथा पर्यावरणविदों द्वारा विरोध किया जा रहा था। इस कारखाने को पहले महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में लगाया जाना था। परन्तु स्थानिय विरोध के कारण उसे 1990 में तामिलनाडू में लगाया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस कारखाने की निर्मिती के लिए केन्द्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तथा पर्यावरण बोर्ड द्वारा अनुमति दी गई थी।

जब सरकार ने बात नहीं मानी तो स्थानिय लोगों द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में याचिकायें दायर की गई। न्यायालय द्वारा प्रदुषण से संबंधीत अनेक अनियमितताओं को ध्यान में रखकर तथा पानी और जमीन प्रदुषित होने संबंधी निरी (National Environmental Research Institute) की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर कारखाने को बंद करने का निर्णय दिनांक 28.09.2010 दिया था। उसके बाद स्टरलाईट इन्डीया ने सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल 2013 को आदेश पारित किया। इस आदेश के अनुसार न्यायालय ने यह माना कि इस कारखाने से प्रदुषण फैल रहा है तथा पर्यावरण के नियमों की अनदेखी की गई। परन्तु कम्पनी पर 100 करोड़ रूपये जुर्माना करते हुये कारखाना चालु रखने का आदेश किया। इस प्रकार जनजीवन की हानी को पैसे से तोला गया। सर्वोच्च न्यायालयने तर्क दिया कि इस कारखाने से सरकार को राजस्व मिलता है और लोगों को रोजगार। क्या यह दोनों बातें लोगों के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है? क्या औद्योगिक विकास आदमी के जीवन से अधिक महत्वपुर्ण है?

पर्यावरण को दरकिनार करते हुये विकास करना मानव जीवन के लिए वर्तमान में तथा भविष्य में घातक है। इस निर्णय से और भी गलत संदेश पहुंचेगा कि, पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने से केवल जुर्माना हो सकता है व्यवसाय बंद नहीं हो सकता। इस प्रकार पूंजीपती मनमानी करते जायेंगे, पर्यावरण बिगड़ते जायेगा और जनहानी होती जायेगी।

✦ सर्वोच्च न्यायालय से आम आदमी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की उम्मीद नहीं

आम आदमी के संवैधानिक अधिकार का हनन भारत में आमतौर पर होता है। उनमें दलित और गरिब लोगों के अधिकारों का हनन हमेशा ही होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आम आदमी को उसके संवैधानिक अधिकार कौनसे है इसका ही पता नहीं। दुसरी बात यह है कि, ताकतवर लोगों के दबाव के कारण आम आदमी न्यायालय में नहीं जाता । तिसरी बात यह हैं कि उसे जानकारी नहीं है कि यदि उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सिधे सर्वोच्च न्यायालय को सुचित कर सकता है। चौथी बात यह है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय को सुचित कर भी दिया तो उसे कब न्याय मिलेगा इसका भरोसा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व है कि वह भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें। संविधान खंडपीठ पांच सदस्यों का होता है। 1960 के दशक में ऐसे 100 अधिक प्रकरणों में फैसला होता था। परन्तु अब तो वर्ष भर में 8 से भी कम बार ऐसे संविधान खण्डपीठों का गठन हो पाता है। और संवैधानिक अधिकारों से संबंधीत मामले वर्षों से लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सन 2011 में दिये गये निर्णयों का चार्ट दिया हुआ है। जिसके अनुसार केवल 0.1 प्रतिशत प्रकरणों में पांच जजों की बेंच द्वारा निर्णय दिया गया है।

वर्ष 2011

विषय	निर्णयों का प्रतिशत
फौजदारी (Criminal)	24.0
नौकरी (Service)	23.7
सामान्य सिविल (General Civil)	11.8
जमिन अधिग्रहण (Land acquisition)	7.8
इन डायरेक्ट टॅक्स (Excise Etc)	4.6
डायरेक्ट टॅक्स (Income Tax)	1.6

मजदुर (Labuor)	2.4
उपभोक्ता (Consumer)	1.5
मुआवजा (Compensation)	2.2
किराया (Rent)	1.0
भूमि (Land.)	2.2
विवाद (Arbitration)	1.4
व्यक्तीगत (Personal)	1.7
पी.आई.एल. (PIL)	2.6
व्यापार (Merchantile)	0.6
कम्पनी (Company)	0.8
तिन जजो संबंधी (Three Judges)	0.3
पांच जजो संबंधी (Five Judges)	0.1

उपरोक्त चार्ट से विदित होता है कि, संवैधानिक बैंच जिस में 5 या उससे अधिक न्यायाधिशों की आवश्यकता होती है ऐसे सर्वाधिक कम 0.1 मामलों में निर्णय हुये है। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के 30 जजों द्वारा 6,00 प्रकरणों में निर्णय दिये है। हालांकि हर वर्ष प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है। सन 2011 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने 47,000 याचिका/ अपिल/ आवेदन में से 9070 प्रकरण सुनवाई हेतु स्विकृत किये। इसप्रकार लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है।

सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय शाखायें भी नहीं बनायी जा रही है। विडियो कान्फरंसीग के माध्यम से भी प्रकरणों में सुनवाई हो सकती है। परन्तु इस तकनिकी को अभी शुरू नहीं किया गया।

यह सब कुछ हो जाय तब भी आम आदमी को न्याय तब तक नहीं मिल सकता जबतक उसे संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं दी जाती और न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी जाति और सबसे महत्वपूर्ण बात है उस में स्वाभिमान जागृत नहीं किया जाता।

✦ भारत के बहुसंख्यक लोगों के लिए न्याय आज भी दुर का सपना बना हुआ है।

तत्कालीन कानुन मंत्री अश्वीनी कुमार ने मुख्य मंत्रीयों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधिशों के सम्मेलन को संबोधीत करते हुये इस सत्य को स्विकार किया था कि, हमारे देश में बहुसंख्य लोगों के लिए न्याय अभी भी एक दुर का सपना बना हुआ है। यह वास्तविकता है कि बहुसंख्यक भारतीय अपने जीवन में अन्याय सहते है और न्यायालय तक नहीं पहुंच पाने के कारण उन्हें न्याय नहीं मिलता। उन्होंने कहा था कि, न्यायाधिशों और अन्य संबंधीत अधिकारीयों की संख्या कम से कम दुगुनी होनी चाहिए। न्यायालयों का निर्माण और उनमें आवश्यक सुविधायें बहुत जरूरी है। इसके लिए केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता देगी तथा उन्होंने राज्य सरकारों से भी अपील की है कि इस कार्य के लिए वह वित्तीय सहायता दे। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश अल्तमस कबीर ने राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिशों को निर्देश दिये है कि वह राज्य सरकारों से संपर्क करे और वित्तीय सहायता प्राप्त करने की कोशीश करें।

सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में ध्यान नहीं देने के कारण हमारे देशवासी न्याय से वंचित है। केन्द्र सरकार द्वारा 5000 ग्राम न्यायालय बनाने की योजना बनाई थी परन्तु 172 ग्राम न्यायालयों की ही अधिसुचना जारी की गई थी जिनमें से केवल 152 में ही कामकाज चल रहा है। कानुन मंत्री ने सन 2014 तक 616 ग्राम न्यायालय बनाने की आशा व्यक्त की थी। यह कार्य बहुत देर से हो रहा है। इसलिए उसे अधिक गति से करने की आवश्यकता है। यह सब सरकार की इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। वह चाहे तो सम्पुर्ण भारत में न्यायालयों का निचले स्तर पर जाल फैला सकती है ताकि भारत का नागरिक न्याय से वंचित न रहे। अब तक का अनुभव तो यही है कि जनहित के काम बहुत मंद गति से होते हैं और उनमें भी गड़बड़ीयां होती है। इसके विपरित नेताओं और पुंजीपत्तीयों के हित के काम बहुत जल्दी होते है।

न्यायिक क्षेत्र में कार्य तेजी से करने के साथ-साथ सावधानी की भी आवश्यकता है क्योंकि यहां के उच्च पदस्थ अधिकतर लोग वह न्यायाधिश भी हो सकते है, जो ब्राह्मणवाद से ग्रसीत है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों के निर्णयों पर निगरानी रखना जरूरी है। अन्यथा आम नागरिक को इस व्यवस्था से न्याय नहीं मिला तो उसका इस देश की न्यायपालिका से ही विश्वास उड़ जायेगा।

✦ पुलिस से जानवर अच्छे

पिछले दिनों बलात्कार की घटनाओं को लेकर उत्तरप्रदेश में प्रदर्शन किये गये। इन प्रदर्शनों के दौरान एक प्रदर्शनकारी युवती को सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा चाटा मारा गया था

तथा एक 65 वर्षिय वृद्ध महिला को लाठीया मारकर पुलिस ने गिरा दिया था। यह प्रदर्शनकारी निहत्थे थे। इन घटनाओं के चित्र जब सर्वोच्च न्यायालय के न्या. जी.एस. सींघवी के खंडपिठ को बताये गये तब न्यायालय ने इन घटनाओं की स्वयं दखल ली और उत्तर प्रदेश के पुलिस आयुक्त तथा मुख्य सचिव को नोटीस जारी की। इन घटनाओं को लेकर न्यायालय ने पुलिस पर निम्नलिखित टिप्पणी की।

i. देश के विभिन्न भागों में पुलिस का रोज का जिस प्रकार का बर्ताव है वैसा बर्ताव जानवर भी नहीं करते।

ii. उत्तरप्रदेश के वकील गौरव भाटीया से पुछा कि क्या आपकी सरकार के पास थोड़ी शर्म बची है या नहीं?

iii. आपकी संवेदनशीलता कहां गई है? किसी निहत्थी महिला को पुलिस कैसे मार सकती है?

✦ सी.बी.आई. न्यायालयों में भ्रष्टाचार के 6816 प्रकरण लंबित

केन्द्रीय राज्यमंत्री वी. नारायण सामी इन्होंने राज्य सभा में लिखित उत्तर में कहा है कि देश के विभिन्न सी.बी. आई न्यायालयों में 31 मार्च 2013 तक भ्रष्टाचार के 8616 मामले लंबित थे। उन्होंने बताया कि, पिछले 4 वर्षों मे 2010 से 2013 तक भ्रष्टाचार निवारण कानुन के अंतर्गत 2121 प्रकरण दर्ज किये गये थे।

✦ बलात्कार के प्रकरणों संबंधी निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय के न्या.वी.एस. चौहाण तथा न्या. फकीर मोहम्मद इब्राहीम और न्या.मोहम्मद इब्राहीम कलीफुल्ला के खंडपीठ ने दिलीप नामक अभियुक्त द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध दाखिल अपील पर निर्णय में निम्नलिखित निर्देश दिये.

1. बलात्कार के प्रकरण की जांच महिला पुलिस द्वारा करनी चाहिए।

2. ऐसे प्रकरणों में यथाशिघ्र निर्णय होना चाहिए।

3. डॉक्टरों ने सावधानी पुर्वक चिकित्सा जांच करनी चाहिए. साथ ही पिड़िता को मनोचिकित्सक की भी मदत देनी चाहिये। मेडिकल रिपोर्ट शिघ्र देनी चाहिये तथा उस मे सभी तत्थों पर स्पष्ट मत होना चाहिये।

4. जांचकर्ता पुलिस अधिकारी ने पिड़िता को शिघ्र मेडीकल जांच के लिए भेजना चाहिये और उसका बयान उसके परिवार के सदस्यों के समक्ष दर्ज करना चाहिये और जांच यथाशिघ्र पुरी करनी चाहिये।

✦ आजन्म कारावास की सजा का अपराधी 14 वर्ष की सजा काटने के बाद मुक्त नहीं किया जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय के न्या.पी. सदाशिवम और न्या. जे.एस. खेहर के खण्डपीठ ने यह निर्णय दिया कि आजन्म कारावास की सजा सुनाये गये अपराधी को 14 वर्ष की सजा काटने के बाद मुक्त करने के लिए अपिल करने करने का अधिकार नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि आजन्म कारावास की सजा पुरे जीवन भर के लिए सजा होती है। उसे कम करने का अधिकार केवल राज्यपाल और राष्ट्रपति को है। न्यायालय ने यह भी कहा कि सजा कम करते वक्त अपराध की तिव्रता को ध्यान में रखना जरूरी है।

अपराधी ने सन् 2000 में एक 22 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की थी। निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी जिसे गोहाटी उच्च न्यायालय ने आजन्म कारावास में बदल दिया था। अपराधी के वकील परमानंद कटारा ने सर्वोच्च न्यायालय से यह निवेदन किया था कि अपराधी ने चूंकि 14 वर्ष का कारावास पुरा किया है तो उसे मुक्त किया जावे।

✦ केवल प्रशिक्षित व्यक्ती ही विद्यालयों में पढ़ा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्या. बी.एस. चौहान और न्या. दिपक मिश्रा के खण्डपीठ ने कहा कि, केवल प्रशिक्षित व्यक्ती ही विद्यालयों में पढ़ा सकता है। न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक पात्रता को नजर अंदाज करते हुये अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ती को गलत ठहराया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि, ऐसा करने से शिक्षा का ढांचा ही ढह जायेगा।

गुजरात सरकार द्वारा ' विद्या सहायक' के नाम से शिक्षकों की नियुक्ती के संबंध में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपरोक्त टिप्पणी की। न्यायालय ने प्रश्न किया किया संविधान में अनुच्छेद 21 ए के रहते हुये आप इस प्रकार की निति कैसे अपना सकते है। यह धक्कादायक है। अन्य राज्यों में भी इसप्रकार की नियुक्तीयां की जा रही है। यह शिक्षा सहायक शिक्षा के शत्रु है ऐसी टिप्पनी भी न्यायालय ने की।

समिति द्वारा सम्पन्न कार्यक्रम

✦ **डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती समारोह**

14 अप्रैल 2013 को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन लगभग हर गांव में किया गया। कुछ गांव ऐसे थे जहां बाबासाहेब के जीवन और कार्य पर प्रबोधन का आयोजन नहीं किया गया था। ऐसे गांवों में पहुंचकर समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबासाहेब के जीवन और कार्य पर प्रबोधन किया तथा बाबासाहेब के द्वारा बताये गये मार्गपर चलने के लिए प्रेरित किया।

✦ **बुद्ध जयंती समारोह**

दिनांक 25 मई 2013 को बुद्ध जयंती के अवसर पर धम्म ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन मध्यप्रदेश में छिन्दवाडा जिले के सौसर तथा नांदनवाड़ी इन स्थानों पर किया गया। दोनों केन्द्रों में कुल 115 बालक-बालिकाओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दीक्षा देशभ्रतार, द्वितीय स्थान बोधिसत्व गजभिये और तृतीय स्थान बंटी जैस्वाल ने हासिल किया। इन तीनों को धम्मगिरि, काजलवाणी पर बुद्ध जयंती समारोह के पश्चात पुरस्कृत किया गया। प्रथम पुरस्कार 1,000 रूपये, द्वितीय पुरस्कार 500 रूपये और तृतीय पुरस्कार 300 रूपये दिया गया। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को समिति द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किये गये।

बैतुल जिले के तिवरखेड़ ग्राम में बुद्ध धम्म प्रचार समिति द्वारा दि. 30 मई 2013 को बुद्ध जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में बैतुल जिले के विभिन्न ग्रामों से भारी तादाद में उपासक उपस्थित हुये। आयु. नागले, आयु. एम.आर.पाटील, आयु. मोरेश्वर रंगारे, आयु. लिलाधर सोमकुवर आदी ने उपस्थितों को सम्बोधित किया। सम्बोधन के बाद बुद्ध और बाबासाहेब के उपदेशों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ।

✦ **धम्मदीक्षा कार्यक्रम**

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के 33 महिला, पुरूष और बालकों को बुद्ध धम्म प्रचार समिति के माध्यम से दीक्षाभूमी, नागपुर पर दि. 9 जून 2013 को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी गई। भदन्त नागवंश द्वारा उन्हें दीक्षा दी गई।

समिति द्वारा आगामी कार्यक्रम

✦ **अखिल भारतीय धम्म ज्ञान परीक्षा 2013**

दि. 4 अगस्त 2013 को सम्पूर्ण भारत में विभिन्न केन्द्रों पर 'अखिल भारतीय धम्म ज्ञान परीक्षा-2013' आयोजित की जावेंगी।

सभी केन्द्र प्रभारीयों से निवेदन है कि वह अपने केन्द्र के सभी आवेदकों को स्थान, तिथि एवम् समय के बारे में सुचित करे।

✦ **कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर**

(विस्तृत जानकारी पेज नं. 13 पर)